विषय सूची

(i) बोर्ड के सदस्य 02
(ii) बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक 05
(iii) लक्ष्य एवं उद्देश्य 07

अध्याय-I 09
संगठनात्मक की स्थापना और कार्य

अध्याय-II 17
वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण

अध्याय-III 25
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठन को अनुदान

अध्याय-IV 41
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

अध्याय-V 51
तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

अध्याय-VI 59
अन्य पहलें / गतिविधियां

अध्याय-VII 67
तेउविबो वार्षिक लेखे 2013-14

अध्याय-VIII 95
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अध्याय-IX 111
आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

अध्याय-X 143
परिशिष्ट

बोर्ड के सदस्य

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

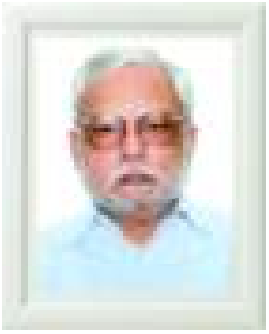

श्री विवेक रे,
सचिव,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(28.02.2014 तक)

श्री सौरभ चन्द्रा,
सचिव,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.03.2014 से आगे)

सदस्य

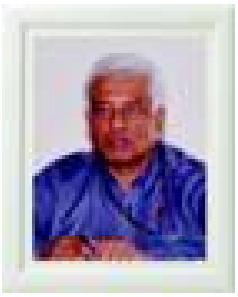

श्री इन्द्रजीत पाल,
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो–रसायन
विभाग

श्री सुधीर वासुदेव,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(28.02.2014 तक)

श्रीमती अंजुलि चिब्ब दुग्गल,
विशेष सचिव (व्यय),
वित्त मंत्रालय

श्री डी.के. सर्राफ,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.03.2014 से आगे)

डॉ. एस. सी. खुंटिया,
विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री आर.के. सिंह,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(30.09.2013 तक)

श्री ए. गिरिधर,
संयुक्त सचिव,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
मंत्रालय

श्री एस. वर्धाराजन,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.10.2013 से आगे)

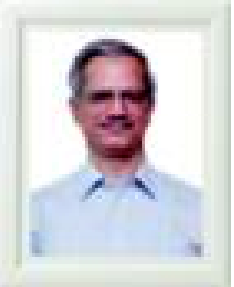

श्री राजीव नयन चौबे
महा निदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय
(06.02.2014 तक)

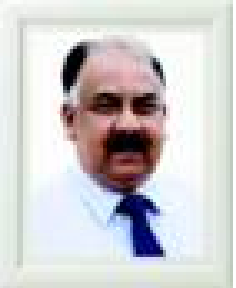

श्री रॉय चौधरी,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(28.02.2014 तक)

श्री बी.एन. ताल्लुकदार,
महा निदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय
(14.02.2014 से आगे)

श्रीमती निशि वासुदेवा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.03.2014 से आगे)

श्री आर.एस. बुटोला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ0 आर.के. मल्होत्रा,
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री बी.सी. त्रिपाठी,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

सदस्य सचिव

श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बाराव
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(09.06.2013 तक)

श्री एल.एन. गुप्ता,
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(10.06.2013 से आगे)

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बाराव (09.06.2013 तक) श्री एल.एन. गुप्ता (10.06.2013 से आगे)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री एम.सी. सिंह
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स iii) कार्पोरेशन बैंक iv) इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई
बोर्ड का कार्यालय (पंजीकृत)	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0–2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0	0120–2594602 (नोएडा कार्यालय) 0120–2594627
फैक्स	0120–2594630 (नोएडा कार्यालय)
ई–मेल	oidb-mopng@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

लक्ष्य एवं उद्देश्य

तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।

तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना ।

निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण सहायता देना :–

- *कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाओं का निर्धारण एवं अन्वेषण।*
- *प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने वाली परियोजनाएं।*
- *पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन एवं विपणन।*
- *हाईड्रोकार्बन की मितव्ययिता के लिए संरक्षण।*

तेल उद्योग के सतत् विकास हेतु शोध एवं विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना।

देश में तेल क्षेत्र के उपकरणों और उसकी सेवाओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध करना।

अध्याय-I

संगठनात्मक की स्थापना और कार्य

1. प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व का अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था । तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

(1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए ।

(2) इस प्रकार के कार्यक्रमों के निश्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(3) इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए ।

(4) इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ही किया जाएगा ।

1.2 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे जुड़े मामलों से संबंधित है ।

2. संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत तेल उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी । इसकी संगठनात्मक व्यवस्था में अध्यक्ष, सदस्यों और सचिवालय का समावेश है ।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है । इस बोर्ड के कार्यों को तेल उद्योग विकास अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है । तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अनुसार, यह बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल के संभावनाओं की खोज करने एवं अन्वेषण;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, देखभाल, भंडारण और परिवहन के लिए सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह इस बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर इसे जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं (परिशिष्ट–।।)। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/संशोधित की गई उपकर की दरें निम्नानुसार हैं : –

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फ़रवरी, 1983	300 रुपए
01 मार्च, 1987	600 रुपए
01 फ़रवरी, 1989	900 रुपए
01 मार्च, 2002	1800 रुपए
01 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए

तलिका संख्या – 1, उपकर की दरें

एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नही

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत 26 अभिज्ञात क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर के स्थान पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर को 900 रुपए प्रति टन तक छूट प्रदान की गई है।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। यदि कानून द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार संसद द्वारा इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, उस स्थित में केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उचित मानते हुए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है ।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को एक ऐसी धनराषि का भुगतान भी कर सकती है, यदि इस संदर्भ में कानून द्वारा किए गए यथोचित समायोजनों के अनुसार संसद द्वारा प्रावधान किए जाते हैं ।

4. तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 उपकर के रूप में वर्ष 1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2013–14 तक बढ़कर 14542.38 करोड रुपए हो गई। (ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच से प्राप्त जानकारी के आधार पर), इसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

(करोड़ रुपए में)

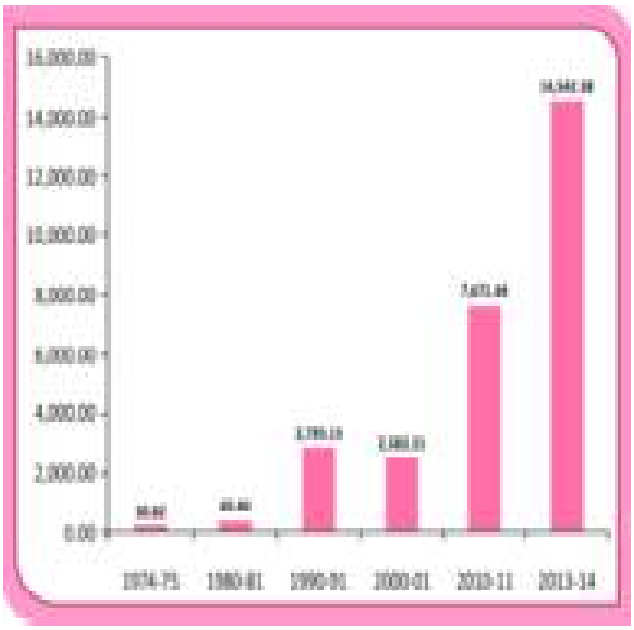

तालिका 2 : एकत्रित उपकर

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के संदर्भ में उपकर के रूप में दिनांक 31

मार्च 2014 तक अनुमानतः 1,33,049 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की है, जबकि नीचे दिए गए वर्ष वार ब्यौरों के अनुसार तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है :

4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। इस आंतरिक आय के साथ उपकर आय ने दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तेल उद्योग (विकास) कोश में 10,979.40 करोड़ रुपए के संचय का योगदान दिया है।

(करोड़ रुपए में)

तालिका 3 : तेउविबो को अंतरित उपकर

5. तेल उद्योग को सहायता

5.1 तेउविबो को उन सभी उपायों को बढ़ावा देने के लिए, उसी रीति से, उस सीमा तक और उन शर्तों पर, जिन्हें वह उचित मानता है, वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है जो उपाय उसकी राय में तेल उद्योग के विकास के अनुकूल होते हैं ।

5.2 बोर्ड द्वारा सामान्यतः इन माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

- तेल उद्योगों की परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान करते हुए ।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ निम्नलिखित संस्थानों को अनुदान प्रदान करने के द्वारा, नामतः
- डीजीएच – अपस्ट्रीम गतिविधियों के लिए
- सीएचटी – डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के लिए
- ओआईएसडी – सुरक्षा पहलुओं के लिए
- पीसीआरए – संरक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए, और
- पीपीएसी – पीपीए सहायता के लिए
- इक्विटी निवेश के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराना – (i) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के माध्यम से 5.33 एमएमटी कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डार स्थापित करने के लिए (ii)। सरकार के निदेशानुसार बीको लॉरी लिमिटेड की
- तेल से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

6. निधियों का विनियोजन

6.1 तेउविबो ने अन्वेषण, उत्पादन, परिष्करण, विपणन, अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित कार्यक्रमों तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को अधिकतम प्राथमिकता दी है। ऋण सहायता का एक बड़ा भाग तेल कंपनियों को योजना परियोजनाओं के पूंजी परिव्यय की पूर्ति के लिए प्रदान किया गया है।

6.2 तेउविबो ने स्थापना से दिनांक 31 मार्च 2014 तक तेल उद्योग के विनियोजन हेतु विभिन्न अनुकूल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ये प्रावधान किए हैं :

- तेल कंपनियों को 36,831.65 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, तेल कंपनियों पर तेउविबो का 7,824 करोड़ रुपए का ऋण देय है, जो चरणबद्ध रूप में वसूली योग्य है। विगत चार वर्षों के दौरान वितरित किए गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

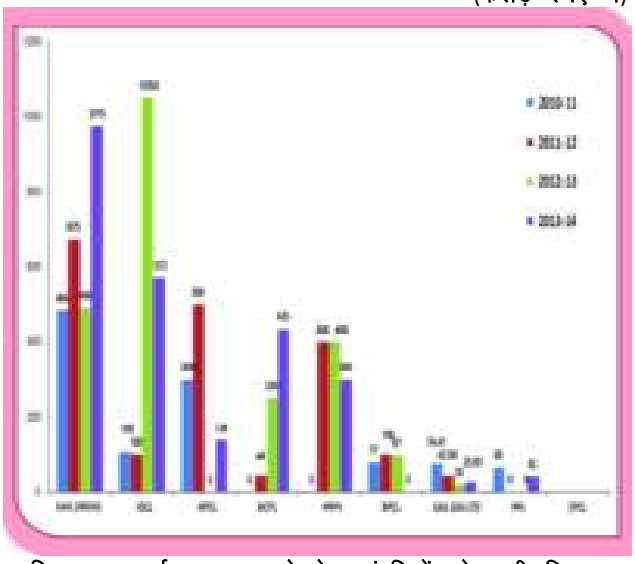

तालिका 4 : वर्ष 2010–11 से तेल कंपनियों को जारी किए गए ऋण

- विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों को 2,020.68 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया गया है। नियमित अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों को पिछले चार वर्षों के दौरान वितरित किए गए अनुदानों का ब्यौरा, निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

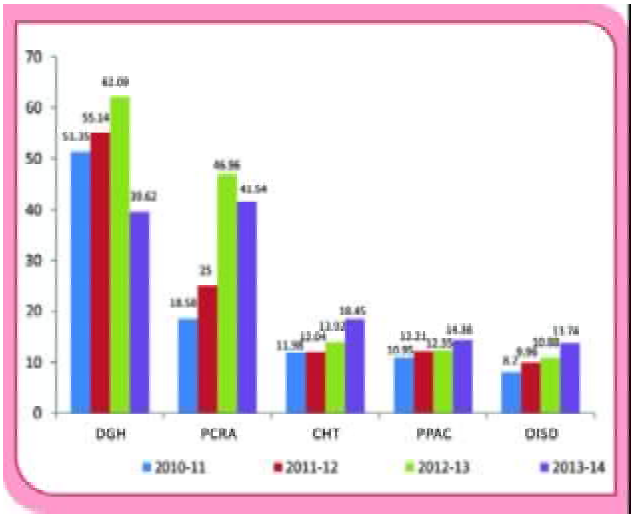

तालिका 5 : वर्ष 2010–11 से तेल कंपनियों को जारी किए गए अनुदान

6.3 सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, तेउविबो द्वारा मार्च, 2014 के अंत तक, यह इक्विटी योगदान दिया है :

- स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) में 2,397 करोड रुपए; और
- मेसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बी एल एल) में 50.34 करोड़ रुपए।

6.4 सरकार के निर्देशों के अनुसार, नेल्प के पहले और दूसरे दौर में अभिज्ञात क्षेत्रों से संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससीज़) में राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तेउविबो द्वारा राज्य सरकारों/संविदाकारों को 'विभेदक रॉयल्टी' का भुगतान किया जा रहा है। तेउविबो द्वारा राज्य सरकारों/संविदाकारों को इस प्रयोजनार्थ 407.71 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

(करोड़ रुपए में)

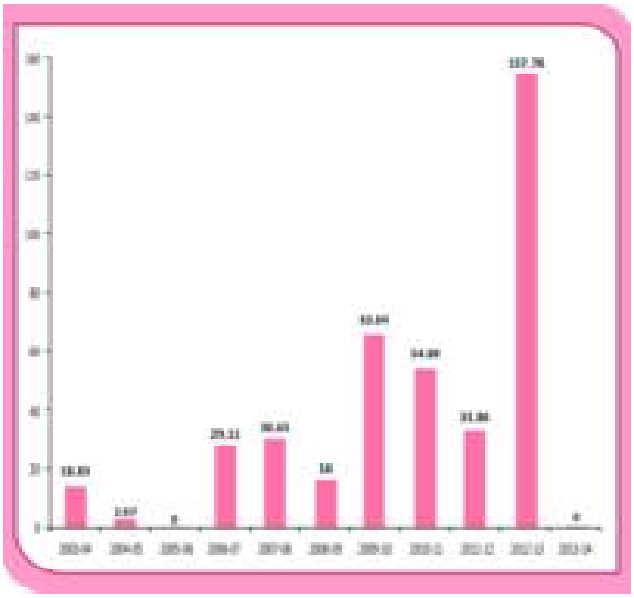

रॉयल्टी का भुगतान

6.5 दिनांक 31.03.2014 तक तेउविबो द्वारा संसदीय अधिनियम (2007 का 54) के तहत स्थापित किए गए एक संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) के लिए भी 45.66 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है।

6.6 तेउविबो ने गहन समुद्रों की तलहटियों तथा विश्व के परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों के नीचे से मीथेन के निष्कर्षण द्वारा भावी वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में इसके उपयोग हेतु गैस हाइड्रेट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) की विभिन्न गतिविधियों के लिए मार्च, 2014 तक 141.23 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है ।

7. आंतरिक संसाधनों से तेउवि निधि की अभिवृद्धि

तेउविबो, ऋण और अल्पावधि के निवेशों पर ब्याज की प्राप्तियों के माध्यम से आंतरिक संसाधनों का सृजन करता है। 2012–13 के दौरान कोष के लिए उपार्जित 267.36 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 252.85 करोड़ रुपए की राशि उपार्जित की गई। तेउविबो की स्थापना से निधियों के उपार्जन से संबंधित स्थिति निम्नलिखित आंकड़ों के रूप में दर्शायी गई है :

(करोड़ रुपए में)

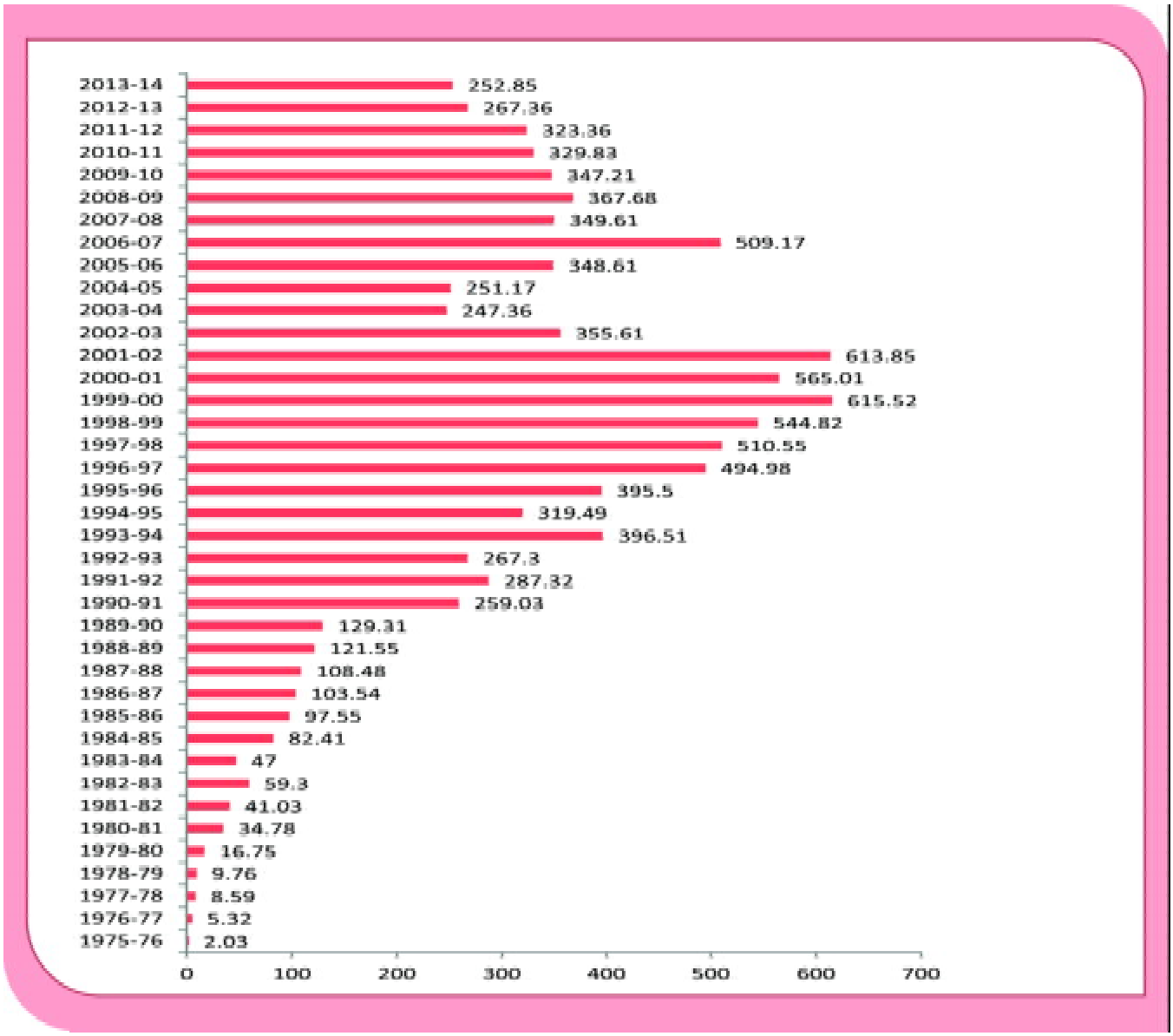

तालिका 7 : तेउवि निधि का अभिवृद्धि

8. तेउविबो का हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र को योगदान का सार निम्नलिखित तालिका में किया जा सकता है।

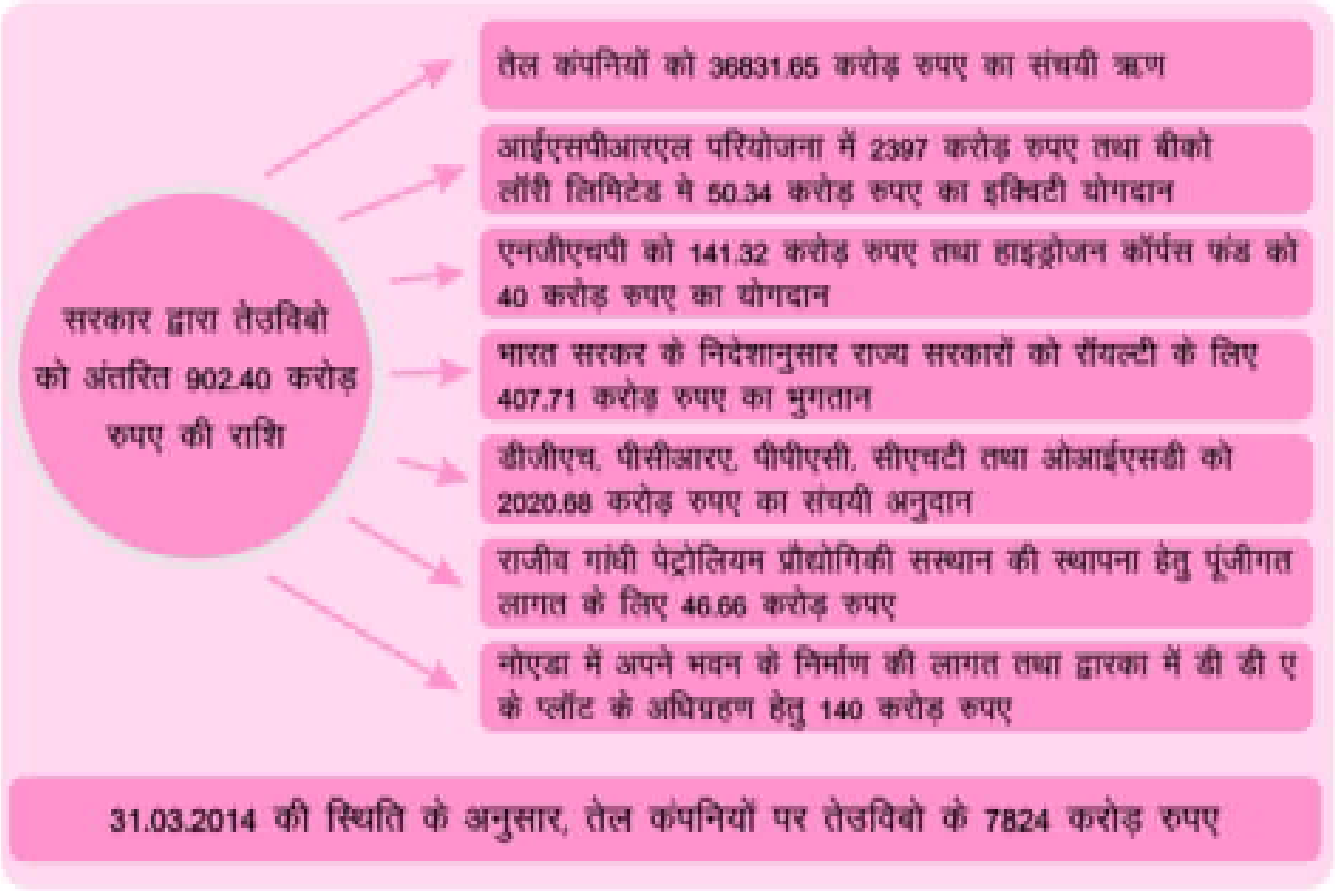

अध्याय-II

वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण

1. तेउविबो द्वारा तेल उद्योग के विकास के लिए परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया गया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, तेल कंपनियों पर 7824.15 करोड़ रुपए का ऋण देय है जिसका कंपनी वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	संस्थानों के नाम	राशि
1	गेल	2,329.75
2	आईओसीएल	2,203.00
3	एचपीसीएल	697.50
4	एनआरएल	82.48
5	बीसीपीएल	976.62
6	एमआरपीएल	1,000.00
7	गेल गैस लिमिटेड	115.55
8	सीपीसीएल	98.00
9	बीपीसीएल	321.25
	योग	7824.15

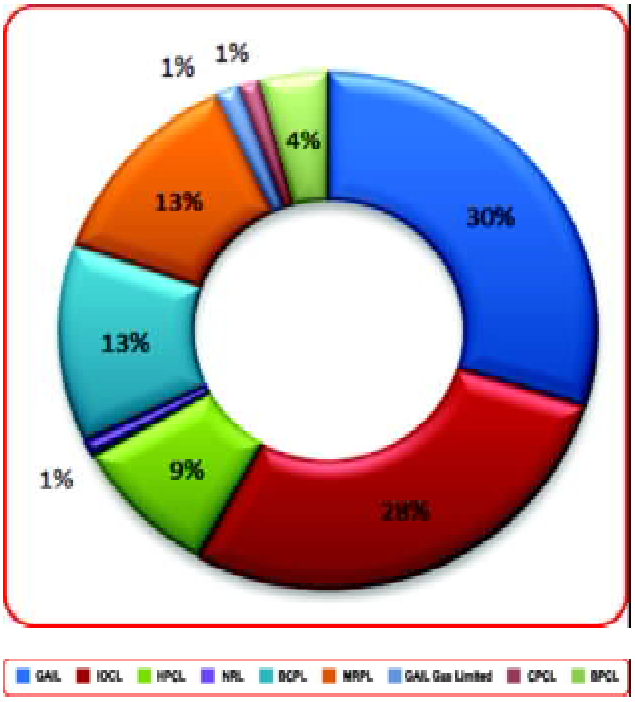

तालिका 8 : दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तेल कंपनियों के देय ऋणों की प्रतिशतता

2. पिछले पांच वर्षों में विभिन्न तेल प्रतिष्ठानों की आंशिक वित्तीय परियोजनाओं के लिए वितरित किए गए ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	तेल संस्थान	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	आईओसीएल	1340.00	105.00	100.00	1050.00	572.00
2	एचपीसीएल	138.00	300.00	500.00	-	138.00
3	गैल (इंडिया)	466.00	484.00	675.00	490.00	975.00
4	एनआरएल	-	65.00	-	-	42.00
5	बीपीसीएल	443.00	77.00	100.00	97.00	-
6	सीपीसीएल	392.00	-	-	-	-
7	एमआरपीएल	-	-	400.00	400.00	300.00
8	गेल	-	74.41	43.59	20.00	25.65
9	बीसीपीएल	-	283.00	44.00	250.00	435.00
	योग	**2779.00**	**1388.41**	**1862.59**	**2307.00**	**2487.65**

3. वित्तीय वर्ष 2013.14 के दौरान, तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल कंपनियों की आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 2487.65 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2013.14 के दौरान, वितरित किए गए ऋण के तेल कंपनी वार ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	संस्थानों के नाम	वितरित ऋण 2013-14
1.	आईओसीएल	572.00
2.	गेल इंडिया	975.00
3.	एमआरपीएल	300.00
4.	बीपीसीएल	435.00
5.	एचपीसीएल	138.00
6.	एनआरएल	42.00
7.	गेल गैस लिमिटेड	25.65
	योग	**2487.65**

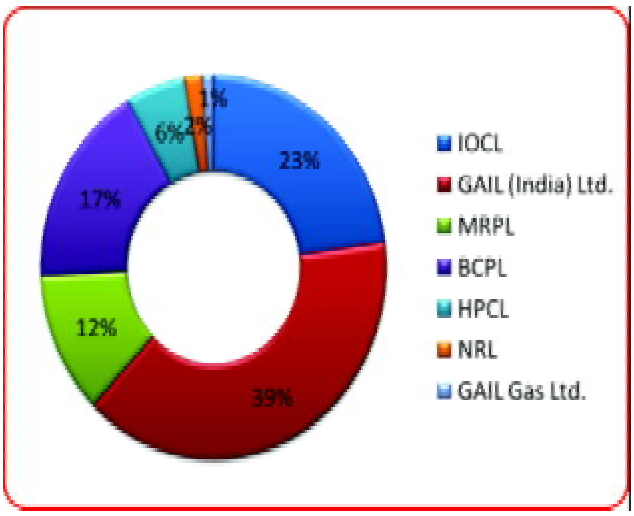

तालिका 9 : वर्ष 2013–14 के दौरान तेल कंपनियों को वितरित ऋणों की प्रतिशतता

4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, तेउविबो द्वारा तेल की संगठनवार परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

4.1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड :

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपनी निम्नलिखित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2013–14 के दौरान तेउविबो से 572 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त की है –

क) पारादीप रिफाइनरी परियोजना (पीडीआरपी) (522 करोड़ रुपए का ऋण) :

पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल के सबसे प्रतिष्ठित और पूंजीगत गहन परियोजना है और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड समूह की 11वीं रिफाइनरी होगी। इसे इंडियन ऑयल की क्षमता में प्रचुर योगदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह रिफाइनरी पारादीप बंदरगाह से 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पारादीप में स्थित है । इस परियोजना के आंशिक – वित्तपोषण के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के लिए तेउविबो द्वारा 522 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया है ।

ख) मथुरा रिफाइनरी में द्रवीकृत उत्प्रेरक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू) का पुनरूद्धार (50 करोड़ रुपए का ऋण)

आईओसी के अनुसार, मेसर्स यूओपी, संयुक्त राज्य अमरीका से लाइसेंस प्राप्त मथुरा रिफाइनरी की एफसीसीयू इकाई को 1.0 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ वर्ष 1983 में चालू किया गया था। तद्नुसार, इस इकाई में मेसर्स स्टोन एंड वेबस्टर, संयुक्त राज्य अमरीका के फीड इंजेक्शन नोज़ल के स्थापित होने और गैस कोन खंड के सुधार के पश्चात वर्ष 2000 में इसका पुर्नोत्थान किया गया था। इस परियोजना की लागत 1,000 करोड़ रुपए है। तेउविबो ने इस परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी को 50 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया है ।

वातावरणीय तथा वैक्यूम इकाई (एवीयू)

केरो ट्रीटर इकाई (के टी सी)

4.2 गेल (इंडिया) लिमिटेड

देश में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड का गठन अगस्त 1984 में किया गया था। देश में गैस पाइपलाइन अवसंरचना के लगभग 9065 किलोमीटर एक विशाल मौजूदा नेटवर्क का निर्माण करते हुए यह इन वर्षों में मूलभूत रूप से विकसित हुई है। तेउविबो ने निम्नलिखित परियोजनाओं का आंशिक – वित्त पोषण के लिए गेल को वर्ष 2013–14 के दौरान 975 करोड़ रुपए की राशि जारी की है ।

(क) पेट्रोकेमिकल परिसर 2 परियोजना, विजयपुर और पाता – 485 करोड़ रुपए

(ख) दाबोल – बैंगलोर पाइपलाइन परियोजना – 290 करोड़ रुपए

(ग) कोच्ची – कांजीरक्कोड – बैंगलोर मंगलोर पाइपलाइन – 200 करोड़ रुपए

गेल की पेट्रोरसायन परियोजना

4.3 मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (300 करोड़ रुपए का ऋण)

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) रिफाइनरी ओएनजीसी की सहायक कंपनी है, जो 15 एमएमटीपीए की स्थापित रिफाइनिंग क्षमता के साथ दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, भारत के पश्चिमी तट पर मैंगलोर में स्थित है। वर्ष 2013–14 के दौरान, एमआरपीएल की थ्रुपुट क्रूड ऑयल प्राप्ति 14.55 एमएमटीपीए है। कंपनी द्वारा वर्तमान में 12,412 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से अपनी रिफाइनरी की उन्नयन और विस्तार परियोजना (रिफाइनरी परियोजना के तीसरे चरण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तेउविबो ने रिफाइनरी परियोजना के तीसरे चरण के लिए जारी किए गए 950 करोड रुपए में से वर्ष 2013–14 के दौरान 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

4.4 ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) (435 करोड़ रुपए का ऋण)

बीसीपीएल, मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), मेसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) और असम सरकार की क्रमशः 70 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुपात में इक्विटी योगदान से प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लिमिटेड (ओएनजीसी) से गैस और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) से नाफ्था की आपूर्ति के आधार पर असम के लेपेटकाटा में एक पेट्रोकेमिकल परिसर स्थापित करने के कार्य में संलग्न है ।

इस परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अप्रैल 2006 में अप्रैल 2012 तक एक अनुसूचित कार्य समापन समयाअवधि के साथ 5461 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, सीसीईए ने 16.11.2011 को 8920 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के लिए और दिसंबर 2013 तक प्रवर्तन की एक संशोधित समयावद्या के लिए मंजूरी प्रदान की ।

इस परियोजना की संशोधित परियोजना लागत में भारत सरकार से 4,690 करोड़ रुपए की पूंजीगत राजसहायता, प्रतिपालकों की ओर से 1,269 करोड़ रुपए की इक्विटी तथा 2,961 करोड रुपए के ऋण सम्मिलित है ।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो द्वारा इस परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु 1,012 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान, तेउविबो द्वारा 435 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया गया था। बीसीपीएल की सूचना अनुसार इस परियोजना ने 7,671.12 करोड़ रुपए के एक पूंजीगत व्यय के साथ 96.5 प्रतिशत की समग्र प्रगति का स्तर प्राप्त किया है।

बीपीसीएल की गैस मृदुकरण इकाई

4.5 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (138 करोड़ रुपये का ऋण) :

एक एकीकृत तेल कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल परिष्करण और पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोरसायन पोषक स्टॉक के विपणन में संलग्न है। वर्ष 2013–14 के दौरान, निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाओं के आंषिक वित्त पोषण के लिए कंपनी के लिए तेउविबो द्वारा ऋण के रूप में 138 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है :

(क) रेवाड़ी मथुरा कानपुर पाइपलाइन परियोजना – 64 करोड़ रुपए

(ख) बीपीसीएल उरण से चाकण (पुणे) तक एलपीजी पाइपलाइन – 11 करोड़ रुपए

(ग) मंगलौर बंगलौर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना – 54 करोड़ रुपए

(घ) आवा सालावास पाइपलाइन परियोजना – 9 करोड़ रुपए

क्रियान्वयनाधीन इन मुख्य पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है : –

(क) रेवाड़ी मथुरा कानपुर पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए रेल तथा सड़क परिवहन से बचने के लिए रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तरप्रदेश) तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है। इस पाइपलाइन की लंबाई अनुमानतः 441 किमी होगी और इसकी डिजाइन क्षमता 7.98 एमएमटीपीए होगी तथा यह हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेशा से होकर गुजरेगी। परियोजना की अनुमोदित लागत 1210.64 करोड़ रूपए है तथा इस परियोजना का नवम्बर 2015 तक संपन्न होना संभावित है ।

(ख) बीपीसीएल उरण से चाकण (पुणे) तक एलपीजी पाइपलाइन

इस परियोजना का उद्देश्य एलपीजी के परिवहन के लिए उरण (मुंबई के समीप) से चाकण –शिकरापुर (पूणे के समीप) तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है। इस पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता 1.0 एमएमटीपीए है तथा इसकी लंबाई अनुमानतः 165 किलोमीटर और व्यास 12 इंच है। इस परियोजना की लागत 462.79 करोड़ रूपए है तथा इसकी 50 प्रतिशत लागत को बीपीसीएल द्वारा साझा किया जा रहा है और इसका कार्य अक्टूबर 2015 में संपन्न होने की संभावना है ।

(ग) मैंगलौर बैंगलोर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य एलपीजी के परिवहन के लिए मैंगलौर में एलपीजी आयात सुविधा से एचपीसीएल के येदियुरू स्थित प्रस्तावित बॉटलिंग प्लांट तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है, जो हासन के मार्ग से बीपीसीएल के सोलूर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक समाप्त होगी। इसके साथ–साथ, हासन टैप ऑफ बिंदु से एचपीसीएल के मैसूर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक एक स्पर लाइन भी बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 397 किलोमीटर होगी तथा इसकी क्षमता 2.279 एमएमटी (प्रचालन के प्रथम वर्ष) और 3.106 एमएमटी (प्रचालन के आठवें वर्ष) होगी। इस परियोजना की लागत 701 करोड रूपए है तथा यह परियोजना नवम्बर 2015 तक संपन्न होने की संभावना है।

(घ) आवा – सालावास पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य, पेट्रोलियम उत्पादों की गौण परिवहन लागत को कम करने के लिए मौजूदा एमडीपीएल आवा इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन को सालावास डिपो से जोड़ना है। इस परियोजना में 10 इंच व्यास की 93 किलोमीटर लंबी 2.34 एमएमटीपीए की क्षमता युक्त बहुउत्पाद क्रास कंट्री पेट्रोलियम स्पर पाइपलाइन को संबंधित सुविधाओं के साथ बिछाना शामिल है। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 134.43 करोड़ रुपए है और समापन समय संभवतः नवंबर 2015 है।

4.6 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) (42 करोड़ रुपए का ऋण)–

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा वर्तमान में असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ, में एक 3.0 एमएमटीपीए रिफाइनरी का प्रचालन किया जा रहा

है। यह रिफाइनरी असम क्रूड को संसाधित करती है, जो एक उच्चकोटि की समृद्ध मोम है। कच्चे तेल में उपस्थित उच्चकोटि की स्वभाविक मोम का लाभ प्राप्त करने के क्रम में, एन आर एल ने पैराफिन और सेमी माइक्रो क्राईसटैलीन वैक्स के उत्पादन हेतु हाइड्रो परिष्करण इकाई के साथ–साथ डीवैक्सिंग/डाइलिंग यूनिट की स्थापना की है। तेउविबो ने इस परियोजना के आंशिक वित्त पोषण की दिशा में वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के लिए 42 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया है।

एनआरएल का एसडीयू

4.7 गेल गैस लिमिटेड (25.65 करोड़ रुपए का ऋण) :

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश भर की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। गेल गैस, 363 किलोमीटर से अधिक स्टील पाइप लाइन नेटवर्क और सोनीपत, मेरठ, देवास, कोटा, आगरा और फिरोजाबाद के शहरों में लगभग 548 किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन का प्रचालन कर रही है। गेल गैस इन शहरों में 435 औद्योगिक इकाइयों, 13 व्यावसायिक ग्राहकों और घरेलू ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की उत्तरोत्तर आपूर्ति करती है। इसने घरेलू और आयातित गैस की कीमतों में पूलिंग करते हुए, ताज समलंब क्षेत्र, (टीटीज़ेड) क्षेत्र में एक समरूप मूल्य प्रणाली को लागू किया है। गेल गैस ने इन क्षेत्रों में 854 से अधिक औद्योगिक ग्राहकों और 45 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ करार किया है। तेउविबो ने टीटीज़ेड परियोजना के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 38 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि में से 25.65 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

अध्याय-III

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठन को अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. सरकार ने पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में कार्य करने के लिए पांच संगठनों नामतः हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की स्थापना की है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन संगठनों के बजट का वित्त पोषण तेउविबो द्वारा अनुदान के माध्यम से किया जाता है।

3. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

संस्थान	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
डीजीएच	58.67	51.35	55.14	62.09	39.62
पीसीआरए	60.70	18.58	25.00	46.96	41.54
सीएचटी	7.18	11.98	12.04	13.92	18.45
पीपीएसी	9.65	10.95	12.21	12.35	14.36
ओआईएसडी	6.40	8.20	9.96	10.88	13.74
योग	**142.60**	**101.06**	**114.35**	**146.20**	**127.71**

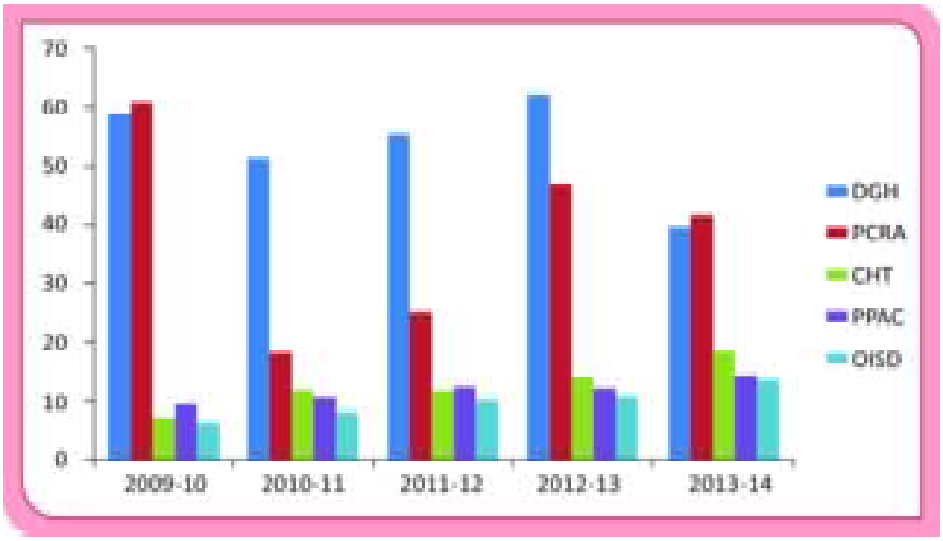

चार्ट 9 : नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित अनुदान

4. तेउविबो द्वारा वर्ष के 2013–14 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया गया :

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	राशि
1	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)	39.62
2.	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)	41.54
3.	उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)	18.45
4.	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)	13.74
5.	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)	14.36
	योग	**127.71**

5.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) (अनुदान 39.62 करोड़ रुपये)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1993 में की गई थी। डीजीएच के उद्देश्य पेट्रोलियम गतिविधि के पर्यावरणीय, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के एक संतुलित महत्व से युक्त तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुचारू प्रबंधन का संवर्धन करना हैं। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के रिज़र्वायर निष्पादन की पुनरीक्षा सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों के निवेश व निगरानी के संवर्धन से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच को गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों के भावी अन्वेषण और विकास के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्रों को आरंभ करने के कार्य में भी संलग्न किया गया है।

डीजीएच पूर्ण रूप से तेउविबो द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2013–14 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 39.62 करोड़/रुपए का अनुदान प्रदान किया। डीजीएच के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को इस वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया।

5.1.1 भावी अन्वेषण के लिए नए क्षेत्रों की शुरूआत

अन्वेषण के लिए नए क्षेत्रों की शुरूआत करने को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शीघ्र ही नेल्प (नेल्प–10) को आरंभ करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ब्लॉकों को समरूप लाइसेंसिंग नीति के तहत परंपरागत् के साथ–साथ गैर परंपरागत् हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और अवशोषण करने के लिए पेशकश की जाएगी। अब तक, कुल 52 ब्लॉकों को, वांछित सांविधिक अनुमतियां प्रदान करने के आधार पर, प्रस्तावित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इस दौर के लिए एक उपयुक्त संविदा मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य, सरकार के प्रक्रियाधीन है।

5.1.2 नेल्प का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नेल्प नीति के माध्यम से अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र के विकास को काफी बढ़ावा मिला है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक उदारीकरण को बढ़ावा दिया है, और इसे निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, जिसके लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकृत है। नेल्प बोली दौर ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, विभिन्न निजी और विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया है। इससे पूर्व, नामांकन और नेल्प–पूर्व व्यवस्था में कुल 35 अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र की कंपनियां कार्य कर रहीं थीं (5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 15 निजी और 15 विदेशी)। नेल्प के नौंवे दौर के समापन के पश्चात, कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर 117 हो गई (प्रचालक व गैर प्रचालक/संघीय भागीदारों के रूप में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 58 निजी और 48 विदेशी कंपनियां) और 254 ब्लॉकों को अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए सौंपा गया। ये जमीनी (111) छिछले सागरीय (62) और

गहन समुद्री (81) ब्लॉक हैं। इन 9 दौरों में सौंपे गए 252 ब्लॉकों में से, 148 ब्लॉक परिचालनरत हैं जबकि परिचालन द्वारा 106 ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है। 42 ब्लॉक और 13 खोजों से 103 तेल एवं गैस खोजे विकासाधीन हैं।

5.1.3 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की निगरानी :

भारत सरकार ने 29 खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, नेल्प–पूर्व व्यवस्था के तहत 28 अन्वेषण ब्लॉकों और नेल्प व्यवस्था के तहत 254 ब्लॉकों की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। डीजीएच भारत सरकार की ओर से, प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित की गई प्रबंधन समितियों के माध्यम से इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन की निगरानी करता है। यह वार्षिक कार्य कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार व उत्पादन प्रोफाइल के आंकलन, क्षेत्रों के छद्म मॉडल तैयार करने, विकास योजना, बजट व सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की पुनरीक्षा व अनुमोदन के कार्यों में शामिल रहता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के तहत क्षेत्रों/ब्लॉकों द्वारा 12.08 मिलियन मीट्रीक टन तेल और 9.50 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया।

5.1.4 राष्ट्रीय तेल कंपनी (एनओसीज़) द्वारा धारित पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मॉनिटरिंग – नामांकन आधार पर :

डीजीएच द्वारा राष्ट्रीय तेल कंपनियों (ओएनजीसी और ओआईएल) द्वारा नामांकन आधार पर धारित 40 (29 ओएनजीसी और 11 ओआईएल) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों (पीईएल) की अन्वेषण संबंधी गतिविधियों की प्रगति प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम की तुलना में एक छमाही आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

5.1.5 क्षेत्रीय विकास, रिज़र्वायर व उत्पादन संबंधी निगरानी

डीजीएच के रिज़र्वायर समूह द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जाती है। खोजों की रिज़र्वायर पुनरीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा (डीओसीज़) तथा क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) आदि के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉक की गतिविधियों का कार्यान्वयन भी किया जाता है ।

5.1.6 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) :

भारत में, ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीईईसीएल) द्वारा जुलाई 2007 से संचालित पश्चिम बंगाल के रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक के रूप में, सीबीएम का वाणिज्यिक उत्पादन पहले से ही आरंभ हो चुका है। इस ब्लॉक में वर्तमान उत्पादन लगभग 0.32 एमएमएससीएमडी है। इसके अतिरिक्त, दो ब्लॉकों, एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा संचालित रानीगंज (पूर्व) ब्लॉक से 0.14 एमएमएससीएमडी की दर पर तथा ओएनजीसी द्वारा संचालित झरिया से 10,000 एससीएमडी की दर पर उत्पादन किया जाता है। अब तक सौंपे गए 33 ब्लॉकों में से तीन (3) ब्लॉकों का परित्याग किया गया है । 8 सीबीएम ब्लॉक विकास चरण में हैं (2 ब्लॉक आरआईएल द्वारा, 4 ब्लॉक ओएनजीसी द्वारा, एक ब्लॉक जीईईसीएल द्वारा और एक ब्लॉक एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा संचालित हैं)।

5.1.7 अनिवार्यता प्रमाणपत्र :

वर्ष 2013–14 के दौरान, डीजीएच द्वारा कुल 14,888 अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनका सीआईएफ मूल्य 4229 करोड़ रुपए है।

5.1.8 शेल ऑयल और शेल गैस

डीजीएच ने शेल ऑयल और शेल गैस अन्वेषण के संभावित क्षेत्रों को अभिज्ञात करने तथा कानूनी बदलाव करते हुए शेल ऑयल और शेल गैस की नीति निर्माण संबंधी पहल के लिए कदम उठाए हैं। देश में, पिछले कई वर्षों के पारंपरिक तेल/गैस की खोज से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, प्रथम चरण के तहत शेल गैस को ध्यान में रखते हुए, कैम बे बेसिन, गोंडवाना बेसिन, केजी बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडो गंगा बेसिन, असम अराकान बेसिन संभावनायुक्त तलछटीय बेसिन प्रतीत

होते हैं। तथापि, तेल/गैस के पारंपरिक अन्वेषण के दौरान एकत्रित किए गए भू–वैज्ञानिक आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण पर शेल गैस के संभावित क्षेत्रों/बेसिनों की पहचान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा नामांकन व्यवस्था रकबों में शेल तेल और गैस संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के संदर्भ में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज़) के लिए अक्टूबर 2013 में शेल गैस और शेल तेल नीति की घोषणा की गई। ओएनजीसी ने कॉम्बे शेल की शेल गैस/शेल तेल संभावना के आंकलन के लिए गुजरात में एक कूप (जम्बुसार#55) का वेधन संबंधी कार्य संपन्न कर लिया है ।

5.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) (अनुदान 41.54 करोड़ रुपए) :

पीसीआरए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 1978 में स्थापित की गई एक सोसायटी है। एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, कृषि, परिवहन, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न पीसीआरए, एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है। यह सरकार को तेल की आवश्यकता के संबंध में देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सहायता प्रदान करता है। इन वर्षों में, पीसीआरए ने पर्यावरण संरक्षण और उचित विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के उपयोग के लिए उत्पादकता में सुधार लाने में अपनी भूमिका को बढ़ा लिया है। वर्ष 2013–14 के दौरान, तेउविबो द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के निष्पादन हेतु 41.54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान, पीसीआरए ने ऊर्जा ऑडिट, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी कार्यशालाओं, तकनीकी सेमिनार, शिक्षा अभियान, तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा और मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम सहित ऊर्जा कुशल उत्पादों/प्रक्रियाओं के विकास के लिए परियोजनाओं के प्रायोजन द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों जैसी विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। पीसीआरए के अनुसार, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया गया था :

5.2.1 क्षेत्रीय गतिविधियां

क्षेत्रीय गतिविधियां पीसीआरए के प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्रवार क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए इंजीनियर और इसके सूचीबद्ध विशेषज्ञ नवीन ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के अभिलक्षित समूहों तक पहुंचते हैं। ये गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्र में हमारे देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के एक बड़े दायरे को कवर करने के लिए तैयार की गई हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, देश भर में कुल 7318 क्षेत्रीय गतिविधियां चलाई गईं थीं।

5.2.2 औद्योगिक क्षेत्र

- **ऊर्जा ऑडिट**

  वर्ष 2013 – 14 के दौरान, पीसीआरए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 567 ऊर्जा कार्यक्षमता संबंधी अध्ययनों का आयोजन किया गया था, जिसमें ऊर्जा ऑडिट (271), ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन (144) और लघु पैमाने पर आडिट (152) शामिल किए गए ।

- **तकनीकी सेमिनार**

  तकनीकी सेमिनार, प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हुए विकास की गई प्रगति से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए और ऊर्जा कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए परिचालनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इस दिशा में, पीसीआरए ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 135 सेमिनारों/तकनीकी बैठकों का आयोजन किया।

- **संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  पीसीआरए के संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) का तात्पर्य एक ऐसी गतिविधि से है जिसमें औद्योगिक आडिट के दौरान पीसीआरए द्वारा प्राप्त अनुभव को साझा किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को

संरक्षण के अवसरों के संबंध में उद्योग के सदस्यों की जागरूकता के स्तर को ऊपर उठाने पर अभिलक्षित किया जाता हैं जिन्हें उनके संयंत्र की ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। वर्ष 2013–14 में, पीसीआरए ने विभिन्न उद्योगों में 460 औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- **औद्योगिक कार्यशालाएं**

पीसीआरए द्वारा उद्योगों में ईंधन और ऊर्जा की बचत के सुझावों पर क्लिपिंग और फिल्मों के प्रदर्शन के साथ–साथ ऊर्जा और ईंधन की बचत के उपायों को कवर करती 419 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

5.2.3 परिवहन क्षेत्र

परिवहन क्षेत्र देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के लगभग 50 प्रतिशत से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि इसमें लगभग 20 प्रतिशत बचत की संभावना बनी रहती है। इस बचत क्षमता को प्राप्त करने के लिए, पीसीआरए द्वारा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मॉडल डिपो परियोजना (एसटीयूज़), निजी बेड़ों के प्रचालकों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को बेहतर रखरखाव कार्यवाहियों, बेहतर ड्राइविंग आदतों, मॉडल डिपो अध्ययनों, उत्सर्जन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्लीनिकों आदि के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहकों तथा ग्रीसों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

5.2.4 कृषि क्षेत्र

पीसीआरए के कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वैन प्रचार, बायो डीजल पर कार्यशालाओं, किसान मेलों और प्रदर्शनियों पर संकेंद्रित हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, पीसीआरए ने 83 किसान मेलों और 649 कार्यशालाओं में भाग लिया, जिनमें ईंधन की बचत से संबंधित सुझावों के बारे में पीसीआरए द्वारा निर्मित क्लिपिंगों और फिल्मों का प्रदर्शन और आईएसआई का चिन्ह, फुट वॉल्व, जैव डीज़ल, आदि के प्रदर्शन किए गए थे।

5.2.5 घरेलू क्षेत्र

- **एलपीजी/मिट्टी के तेल बचत पर कार्यशालाएं**

वर्ष के दौरान पीसीआरए गतिविधियों का ध्यान एलपीजी और मिट्टी के तेल के संरक्षण पर अभिलक्षित करते हुए बेहतर खाना पकाने की आदतों के संबंध में महिलाओं को शिक्षित करने, ईंधन कुशल चूल्हों और प्रकाश व्यवस्था उपकरणों के उपयोग, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि सौर, बायो गैस आदि के उपयोग पर संकेंद्रित था। इसके लिए पीसीआरए द्वारा निर्मित फिल्मों की सहायता ली गई थी। पीसीआरए द्वारा वर्ष 2013– 14 के दौरान 929 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- **युवाओं के लिए कार्यक्रम**

पीसीआरए ने स्कूलों से संपर्क साधते हुए द्वारा युवाओं के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद–विवाद और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल थे। पीसीआरए का उद्देश्य, युवा मन को ऊर्जा संरक्षण के मुद्दे से अवगत कराना और अपने घरेलू और व्यावसायिक जीवन के बढ़ते हुए दायरों में तेल संरक्षण की जरूरत को लागू करने और उसे बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। वर्ष 2013–14 के दौरान, पीसीआरए ने देश भर में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में युवाओं के लिए 1607 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

5.2.6 नेटवर्किंग

- **अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग**

तेल और गैस के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग करने के लिए भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, पीसीआरए ने नई दिल्ली में 28 जून, 2006 को ''ऊर्जा संरक्षण केंद्र जापान (ईसीसीजे)'' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीसीआरए और ईसीसीजे के बीच सहयोग के लिए इस समझौता

ज्ञापन की वैधता जून 2014 तक इसके विधिवत् नवीकरण द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान जारी रही। यह समझौता ज्ञापन जीएचजी उत्सर्जन को घटाने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आरंभ करने, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपनायी गई सर्वोत्तम प्रथाओं साझा करने के लिए ऊर्जा कार्यक्षमता, लेबलिंग को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ संयुक्त रूप से सहयोग कार्यक्रमों को आरंभ करने के अनुबंधित किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ईसीसीजे और पीसीआरए ने 'इको ड्राइविंग' पर परिवहन क्षेत्र में, भवनों में ऊर्जा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ''तेल शोधन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में ऊर्जा की बचत के अवसरों'' पर कार्यशाला तथा पैट योजना के तहत गतिविधियों को लागू करने के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसी संयुक्त गतिविधियों का आयोजन किया। पीसीआरए ने ईंधन संरक्षण के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए रूस, अमेरिका, जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लिया। डीएफआईडी–ब्रिटेन ने भी ईंधन के आर्थिक मानदंडों के विकास में सहायता करने की पेशकश की है।

- **घरेलू नेटवर्किंग**

वर्ष 2013–14 के दौरान, सेमिनारों, तकनीकी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और ऊर्जा आडिटों जैसी गतिविधियों को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय/प्रादेशिक उद्योग निकायों जैसे कि ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य और उद्योग संबद्ध मंडल (एसोचैम), पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर (पीएचडीसीसीआई), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए), दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) आदि के साथ पीसीआरए सक्रियता से जुड़ा रहा । ये संयुक्त कार्यक्रम लक्षित दर्शकों के लिए ऊर्जा कार्यक्षमता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से सुलझाने की दिशा में अति उपयोगी सिद्ध हुए ।

5.2.7 अनुसंधान और विकास

अनुसंधान एवं विकास, पीसीआरए की एक प्रमुख महत्वपूर्ण गतिविधि है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों ने नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों, जिनमें ऊर्जा की बचत, पर्यावरण की गुणवत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लिए योगदान करने की क्षमता है, के विकास के लिए अभिलक्षित पीसीआरए के ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को मजबूत समर्थन प्रदान किया है । इसकी अनिवार्यता के एक भाग के रूप में, पीसीआरए नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए रणनीति बनाता है, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा कार्यक्षमता के लिए अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण में तीव्रता लाने के उपायों को बढ़ावा देते हैं।

पीसीआरए द्वारा पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष 2013–14 नंबर के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं	
परियोजनाओं की संख्या	4
पीसीआरए का योगदान	39.19 लाख रूपये
उद्योग / संस्था द्वारा योगदान	19.90 लाख रूपये

5.2.8 शिक्षा अभियान

पीसीआरए द्वारा शिक्षा अभियान का उपयोग, ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग पर जन जागरूकता पैदा करने के एक संचार साधन के रूप में किया जाता है, एक ऐसा साधन जो संचार के विभिन्न माध्यमों के प्रयोग के निरंतर प्रयासों से व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी है।

5.2.9 महा अभियान ''ईंधन बचाओ यानि पैसे बचाओ''

इस विचारधारा के साथ, पीसीआरए ने अपने महाअभियान–2013 की शूरूआत गतिविधियों के साथ–साथ संसाधनों के रूप में भव्य तरीके से की। महाअभियान का उद्घाटन माननीय पेट्रोलियम मंत्री महोदय द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और संसाधनों की बर्बादी को रोकने की देशवासियों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य विषय को परिवहन क्षेत्र पर रखा गया था, जिसमें भारत में पेट्रोलियम ईंधनों के लगभग 50 प्रतिशत की खपत शामिल है। इस

अभियान को एक बड़ी सफलता दिलाने को ध्यान में रखते हुए, पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए गए, डिजिटल सिनेमाघरों और वेबसाइटों में अभियानों चलाया गया, छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की निबंध/चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

5.2.10 मुद्रित साहित्य

पीसीआरए ने, पिछले कुछ वर्षों में, पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोगकर्ताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए उपयोगी जानकारी और सुझाव से भरे संरक्षण साहित्य के एक समृद्ध बैंक को तैयार और विकासित किया है। ये साहित्य वर्ष भर जनता के बीच वितरित किए गए थे।

5.2.11 प्रदर्शनियां

पीसीआरए ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सूचना के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आंतरिक क्षमताओं और सफल ऊर्जा कार्यक्षमता अध्ययन संबंधी निपुणता को प्रदर्शित किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान पीसीआरए ने 133 प्रदर्शनियों में भाग लिया। संरक्षण संबंधी अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए पीसीआरए ने 12 से 14 जनवरी 2014 के बीच पेट्रोटेक – 2014 में सक्रिय रूप से भाग लिया। पीसीआरए के मंडप का उद्घाटन सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा तेल उद्योग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था।

पीसीआरए ने 14–27 नवंबर 2013 के बीच प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) – 2013 में भाग लिया और इसमें पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण विषय का एक मंडप लगाया। इस मंडप ने समाज के सभी वर्गों से भारी भीड़ को आकर्षित किया।

5.2.12 तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा 2014

तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा (ओ जी सी एफ), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है, जिसे पीसीआरए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 से 31 जनवरी तक संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ओजीसीएफ, 2014 की शुरूआत 16 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी राज्यों की राजधानियों में प्रभावशाली ढंग से उद्घाटन समारोहों के आयोजन के साथ की गई। इस वर्ष का विषय था –'ईंधन बचाओ यानि पैसा बचाओ'

नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डा. एम. वीरप्पा मोइली द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के अलावा माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, श्रीमती पनबाका लक्ष्मी की उपस्थिति में 16 जनवरी 2014 को किया गया था । उनके भाषण के दौरान, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में प्रोत्साहित किया। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय ने तेल एवं गैस संरक्षण की शपथ दिलाई और ईंधन संरक्षण का संदेश ले जाने वाले प्रचार वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर ''फार्मा क्षेत्र में ऊर्जा ऑडिट मैनुअल'' की एक गाइड पुस्तिका का विमोचन भी किया गया था।

इस समारोह के दौरान, राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को विभिन्न अन्य पुरस्कार प्रदान करने के अलावा राज्य स्तरीय समन्वयकों (एसएलसीज़), क्षेत्रीय स्तर समन्वयक (आरएलसी), राज्य सरकारों और अपस्ट्रीम क्षेत्र को पिछले 'ओजीसीएफ 2013' के दौरान उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ''सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार'' प्रदान किए गए।

ओजीसीएफ 2014 के दौरान, पीसीआरए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों अर्थात् परिवहन, उद्योग, कृषि, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में तेल और गैस के संरक्षण के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए देश भर में जन रैलियों, साइकिल रैलियों, मैराथनों, मानव श्रृंखला, तकनीकी सेमिनारों, संगोष्ठियों, निबंध, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता, एलपीजी/पीएनजी बचत कार्यशालाओं, औद्योगिक श्रमिकों/चालकों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन किए गए थे।

माननीय पेट्रोलियम मंत्री ओजीसीएफ–2014 के उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलित करते हुए

ओजीसीएफ 2014 के दौरान, 'फार्मा क्षेत्र में ऊर्जा ऑडिट' विषय पर पीसीआरए द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करते हुए

5.3 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) (18.45 करोड रुपए का अनुदान) :

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे. एवं प्रा. गैस) द्वारा वर्ष 1987 में रिफाइनरी प्रक्रियाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, योजकों, कच्चे तेल, उत्पादों व गैस के भंडारण और रखरखाव के क्षेत्र में अधिग्रहण, विकास और अपनाने की भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए तेल उद्योग की एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रूप में कार्य करता है। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्रमुख कार्यों में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का आकलन करने के साथ–साथ रिफाइनरियों का प्रचालनात्मक निष्पादन का मूल्याकंन तथा इनका सुधार शामिल हैं। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र केंद्रीकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान प्रसार, कार्य निष्पादन डेटा बेस, सूचना और अनुभव के आदान–प्रदान के संदर्भ में तेल उद्योग के एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्यरत है। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र परिशोधन और विपणन क्षेत्रों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के वित्त पोषण का समन्वयन करता है तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ''हाइड्रोकार्बन वैज्ञानिक परामर्श समिति'' के कार्यक्रमों तथा इसके साथ–साथ हाइड्रोजन संचित निधि (एचसीएफ) के तहत परियोजनाओं के कार्य को भी देखता है।

तेउविबो द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के पष्चात से इसकी गतिविधियों का वित्त पोषण किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र को 18.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 4.39 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के अनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

5.3.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रिफाइनरियों के कार्य निष्पादन स्तर का निर्धारण

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मेसर्स सोलोमन एसोसिएट्स, संयुक्त राज्य अमरीका के के माध्यम से कैलेण्डर वर्ष 2012 के लिए 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रिफाइनरियों के कार्य निष्पादन के स्तर निर्धारित किए हैं। कार्य निष्पादन का बेंच मार्क संबंधी अध्ययन करने का प्रयोजन, इन 15 रिफाइनरियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आंकलन की तुलना उनके स्थानीय और वैश्विक सर्वश्रेष्ठों के साथ करना है, यह प्रतिफल के रूप में सतत् सुधार प्राप्ति के स्थिर लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होगा और अंततः अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता के स्तर पर प्रदर्शन करने की ओर अग्रणी होगा। यह अध्ययन रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में प्रस्तुत की गई थी और अंतर की भरपाई से संबंधित कार्य योजना विकसित करने के लिए रिफाइनरियों को परिपत्रित कर दी गई थी।

5.3.2 तकनीकी सेवा समझौता

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने भारतीय तेल और गैस कंपनियों के लिए बैक अप सेवाए और परामर्श प्रदान करने के लिए, तेल उद्योग की ओर से, शेल ग्लोबल सॉल्यूशंस इंटरनेशनल (एसजीएसआई), एक विश्व प्रसिद्ध परामर्श, लाइसेंस, इंजीनियरिंग और रिफाइनिंग कंपनी के साथ तकनीकी सेवा समझौता (टीएसए) किया है। इस तकनीकी सेवा समझौता को 30 अप्रैल 2013 को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के नोएडा स्थित कार्यालय में एक उद्घाटन बैठक के साथ औपचारिक रूप से कार्यान्वित किया गया, जिसमें पीएसयू रिफाइनरी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5.3.3 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का आईएसओ 9001 प्रमाणन

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और रिफाइनरियों के लिए तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने'' के लिए मेसर्स डीएनवी से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानक, आईएसओ 9001 : 2008 प्राप्त किया है।

5.3.4 ''तेल और गैस पाइपलाइनों'' पर कार्यशाला

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा 12 और 13 अप्रैल 2013 को गेल (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से विशाखापत्तनम में एक 2 दिवसीय पाइपलाइन

कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का विषय ''पाइपलाइन परिवहन की गतिशीलता – सुरक्षित और सतत ऊर्जा सुनिश्चित करना'' था। इस बैठक का उद्घाटन श्रीमती पनबाका लक्ष्मी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कपड़ा राज्य मंत्री द्वारा श्री विवेक राय, आईएएस, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपस्थिति में किया गया था।

5.3.5 18वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहयोग से 11 से 13 नवंबर, 2013 को कोच्चि में 18वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस बैठक का विषय ''लाभ, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार के लिए अग्रणी निष्पादन'' था। इस बैठक का उद्घाटन श्री विवेक राय, आईएएस, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया। 18वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम) अत्यंत सफल रही और इसकी सम्पूर्ण तेल उद्योग द्वारा सराहना की गई।

5.3.6 ऑटो ईंधन विजन और नीति 2015

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक ''मसौदा ऑटो ईंधन विज़न और नीति 2025'' का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह को व्यापक तकनीकी और सचिवीय सहायता प्रदान की।

5.3.7 अन्य गतिविधियां

- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने विभिन्न परियोजना मदों के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित आवेदनों की समीक्षा और जांच की और अपने विश्लेषण/सिफारिशें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए।
- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने रिफाइनरियों के कार्य निष्पादन से संबंधित विश्लेषण पर समेकित रिपोर्ट तैयार की और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी बैठकों के लिए प्रस्तुत कर दिया।
- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रेषित विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा एवं जांच की और अपने विश्लेषण/सिफारिशें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए।
- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, उन्नत निष्पादन मूल्यांकन और निगरानी के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के रिफाइनरियों के साथ किए गए समझौता–ज्ञापन के मापदण्डों की समीक्षा करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा था।

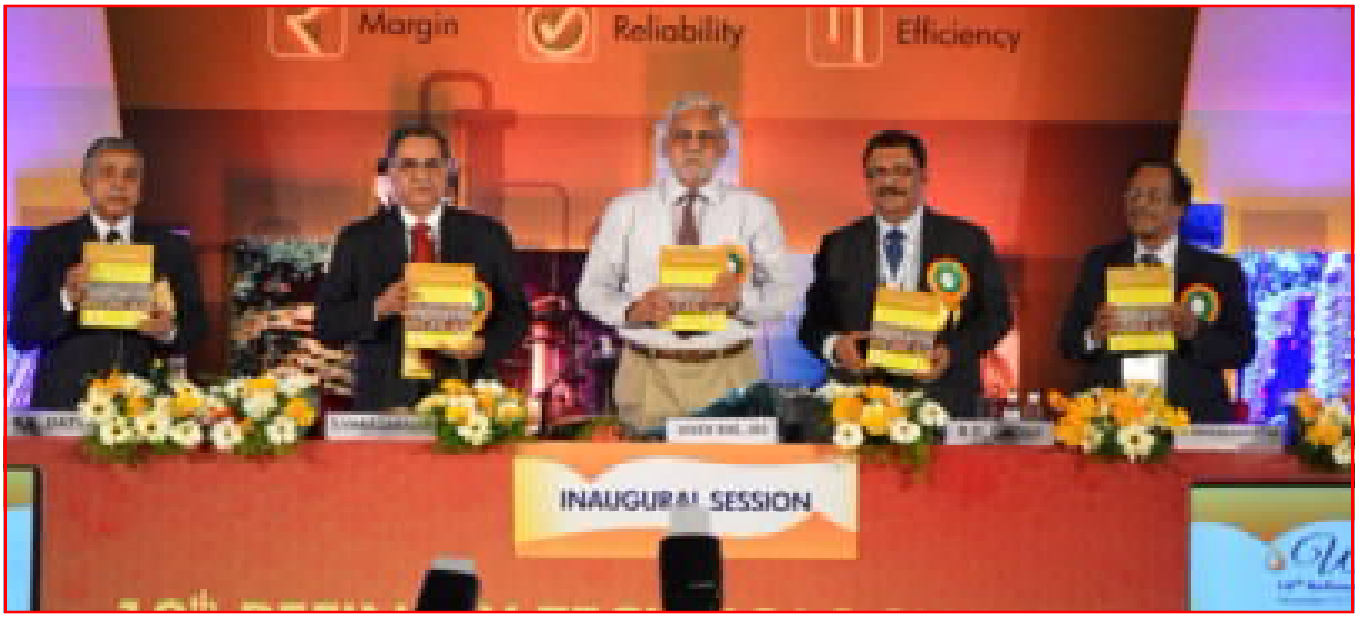

श्री विवेक राय, आईएएस, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,18 वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक का सार संग्रह का विमोचन करते हुए

- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने 22 मई, 2013 को हिंदी ससंदीय समिति के समक्ष हिंदी कार्यान्वयन के कार्यकलापों और वस्तु स्थिति प्रस्तुत की।

5.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (13.74 करोड रुपए का अनुदान)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), एक आईएसओ 9001–2008 प्रमाणित संस्था है, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सुरक्षा परिषद् को सहायता प्रदान करता है जिसकी अध्यक्षता सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा अध्यक्ष के रूप में की जाती है। ओआईएसडी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे मानक तैयार करने, पेट्रोलियम उद्योग में सुरक्षा जांच के माध्यम से सुरक्षा स्तर को बढ़ावा देने तथा इस उद्योग में अंतर्निहित सहज जोखिम को कम करने हेतु इनके क्रियान्वयन की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है। ओआईएसडी के अनुसार, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां निष्पादित की गईं :

5.4.1 सुरक्षा मानकों का विकास

ओ आई एस डी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जानकारी प्राप्त कर और सदस्यों के अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाते हुए सभी हितधारकों (आम जनता सहित) को शामिल करते हुए एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के लिए मानक/दिशानिर्देश/अनुशंसित पद्धतियों को विकसित करता है। इन मानकों में पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रक्रिया, भंडारण और परिवहन के क्षेत्र की डिजाइन, संपदा संबंधी समग्रता तथा श्रेष्ठतम प्रचालन पद्धतियां समाहित होती हैं। नवीन प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ साथ वर्तमान वास्तविक अनुभवों को जोड़ने के लिए नए मानकों के विकास, मौजूदा मानकों को अद्यतन/संशोधित करने की जरूरत को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ओ आई एस डी मानकों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। आज की स्थिति के अनुसार, ओआईएसडी ने तेल उद्योग के लिए 113 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं । इनमे से 11 मानक पेट्रोलियम नियमों और गैस सिलिन्डर नियमों के वैधानिक प्रावधानों में सम्मिलित कर दिए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, ओआईएसडी ने दो नए मानक तैयार किए हैं और 05 मौजूदा मानकों का संशोधन/सुधार किया है। मौजूदा स्थिति के अनुसार, पांच नए मानक जिनमें पी ओ एल प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक मानक शामिल है और इतने ही ओआईएसडी के संशोधित सुधारे गए मानक तैयार किए जाने के अग्रिम चरण में हैं।

5.4.2 अपतटीय प्रतिष्ठानों को ''प्रचालन मंजूरी''

ओ आई एस डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतटीय परिचालन सुरक्षा) नियम, 2008 के कार्यान्वयन की अवलोकन करने के लिए एक सक्षम प्राधिकरण के रूप में वेधन रिगों सहित अपतटीय प्रतिष्ठानों को ''प्रचालन मंजूरी'' संबंधी सहमति प्रदान करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, 62 वेधन प्लेटफार्मों, 13 वेधन रिगों और 1 एस पी एम को प्रचालन सहमति प्रदान की गई है।

5.4.3 सुरक्षा ऑडिट (ईएसए / एसएसए)

ओआईएसडी द्वारा ओआईएसडी मानकों का उनके द्वारा अनुपालन करने को मॉनीटर करने के लिए सभी तेल और गैस प्रतिष्ठानों के आवधिक सुरक्षा जांच की जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान आरएफडी लक्ष्यों से अधिक सुरक्षा ऑडिट किए गए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

गतिविधियां (संख्या)	योजना (2013–14)	वास्तविक (2013–14)
रिफाइनरी और गैस संसाधन संयंत्र	19+	21
विपणन संस्थान	70	71
अन्वेषण एवं उत्पादन तटीय	60	69
अन्वेषण एवं उत्पादन अपतटीय	8	9
क्रास कंट्री पाइप लाइन (किलो मीटर में)	2900	4200
सिंगल प्वॉइंट मूरिंग संस्थापनाएं	03	06
हाइड्रोकॉर्बन परिवहक जैटी पाइपलाइनें	03	03

* इनमें अक्टूबर में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक के निर्णयानुसार एलएनजी टर्मिनलों के तीन ऑडिट शामिल हैं।

5.4.4 कमीशन पूर्व सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

निर्माण अवस्था के दौरान ही ओआईएसडी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन सुविधाओं में कमीशन पूर्व सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं जहां मौजूदा स्थलों पर ग्रीन फील्ड विकास कार्य के साथ साथ अतिरिक्त बड़े संसाधनों को स्थापित किया गया हो। वर्ष 2013–14 के दौरान, उपयोगकर्ता उद्योग के सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 44 सुरक्षा ऑडिट किए गए। इसी संदर्भ में 115 किलोमीटर पाइपलाइनों के भी ऑडिट किए गए।

5.4.5 उद्योग के सुरक्षा निष्पादन का मूल्यांकन

उद्योग के सदस्यों का सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसमें संबद्ध जोखिमों, वर्ष के दौरान रिकार्ड की गई घटनाओं और प्रतिष्ठान के सुरक्षा प्रबंधन तंत्र को ध्यान में रखा जाता है। दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री द्वारा विजेताओं को वर्ष 2011–12 के सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए।

5.4.6 जानकारी के आदान प्रदान में सहयोग

अमरीकी सरकार के गृह विभाग के ब्यूरो ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंटल एनफोर्समेंट (बीएसईई) के साथ समझौता ज्ञापन के अतिरिक्त ओ आई एस डी ने दिनांक 14.5.2013 को रासायनिक प्रक्रिया संयंत्र के प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में जानकारी के आदान–प्रदान के लिए अमरीका के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीन्यरिंग के तत्वाधान में सैंटर फॉर कैमिकल प्रोसेस सेफ्टी (सीसीपीएस) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इस घटना का उल्लेख प्रतिष्ठित ''हाइड्रोकार्बन प्रसंस्करण'' पत्रिका के एक संपादकीय में किया गया । इसकी अनुवर्ती बैठकों का आयोजन वीडियो कोंफेरेंसिंग के माध्यम से जुलाई और अक्टूबर, 2013 को किया गया ।

5.4.7 तकनीकी संगोष्ठी/सम्मेलन

ओआईएसडी द्वारा नवीनतम प्रौधोगिकीय विकासों, घटनाओं और अनुभवों आदि के आदान–प्रदान के लिए तेल उद्योग की तकनीकी संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ओ आई एस डी द्वारा निम्नलिखित तीन संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया:

माननीय पेट्रोलियम मंत्री, सुरक्षा पुरस्कार समारोह में दीप प्रज्वलित करते हुए।

(1) नई दिल्ली में 25 से 26 नवंबर 2013 को "वेल इंटेग्रिटी" सम्मेलन आयोजित किया गया।

(2) नई दिल्ली में 13 से 14 दिसंबर 2013 को "व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य" सम्मेलन आयोजित किया गया।

(3) नई दिल्ली में 16 जनवरी 2014 को "मार्केटिंग प्रचालनों में प्रक्रिया सुरक्षा" पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

5.4.8 घटना की जांच और विश्लेषण

ओ आई एस डी द्वारा घटना के मूल कारणों के विश्लेषण के लिए प्रमुख घटनाक्रमों (गंभीरता/क्षति के अनुसार) की जांच करने के साथ साथ उनके अन्वेषण में भी भाग लेता है।

तेल उद्योग में घटित हुई घटनाओं का एक डाटा बैंक रखा जाता है और इनकी प्रवृतियों, चिंता के क्षेत्रों और वांछित सुधारात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है। तब इन्हें उद्योग की जानकारी के लिए सुरक्षा चौकसी, परामर्शी टिप्पणियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेब साइट लिंक इत्यादि के द्वारा दे दी जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ओ आई एस डी द्वारा 14 प्रमुख घटनाओं की जांच की गई थी।

5.4.9 जानकारी प्रबंधन

ओआईएसडी पदाधिकारी व्यवसाय और उद्योग निकायों के साथ अपने कार्यक्षेत्र संबंधी विशिष्ट ज्ञान का आदान–प्रदान करते रहते हैं। आरजीआईपीटी जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन पाठ्यक्रमो में संकाय सहयोग प्रदान किया गया था। ओआईएसडी के कार्यकारी निदेशक ने यूएसटीडीए, अमरीका में भारत की ओर से प्रतिनिधिमण्डल के भाग के रूप में सम्मिलित होने के अलावा फ्लेमिंग गल्फ द्वारा कुआला–लमपुर और लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया था और इनमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रबंधन विषय पर लेख प्रस्तुत किए थे।

5.5 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) (14.36 करोड़ का सहायता अनुदान):

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरान्त, तेल समन्वय समिति (ओसीसी) को भंग कर दिया गया तथा और दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकार को इन कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम आयोजना एवं विष्लेशण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया : (क) दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी पर राज सहायता तथा भाड़े पर राज सहायता को संचालित करना; (ख) आपात कालीन और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए आसूचना डाटा बैंक तथा संचार प्रणाली का रखरखाव करना; (ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में रुझान का विश्लेषण; (घ) पेट्रोलियम आयात और निर्यात की प्रवृतियों का पूर्वानुमान और मूल्यांकन; और (ड़) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं, यदि कोई हो को संचालित करना।

वर्ष के दौरान, तेउविबो द्वारा पीपीएसी के व्यय की पूर्ति हेतु 14.36 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। पीपीएसी के अनुसार, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का निष्पादन किया गया था।

5.5.1तेल विपणन कंपनियों की राज सहायता और डीबीटीएल दावों का निपटान

वर्ष 2013–14 के दौरान, पीपीएसी द्वारा संसाधित सब्सिडी दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर राज सहायता के रूप में क्रमशः 2580 करोड़ रुपए और 21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत एवं पीपीएसी द्वारा समेकित अंकेक्षित दावों के आधार पर वर्ष 2013–14 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एलपीजी (डीबीटीएल) दावों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रति भी 1337 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

5.5.2 पूर्वोत्तर राज सहायता दावों का निपटान

वर्ष 2013–14 के दौरान, पीपीएसी द्वारा संसाधित दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नार्थ ईस्टन नेचुरल गैस को राज सहायता के रूप में 625 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

5.5.3 तेल विपणन कंपनियों के अल्प वसूली दावों का निपटान

वर्ष 2013–14 के दौरान, एचएसडी, पीडीएस केरोसीन एवं राज सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर कुल 1,39,869 करोड़ रुपए के अल्प वसूली दावों की जांच की गई और इसकी प्रतिपूर्ति प्रणाली को पीपीएसी द्वारा तैयार किया गया। भार भागीदारी प्रणाली के तहत, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा 67,021 करोड़ रुपऐ का योगदान किया गया और सरकार द्वारा नकद सहायता के रूप में 70,772 करोड़ रुपए प्रदान किए गए।

5.5.4 डीजल एवं पेट्रोल की क्षेत्रवार मांग का अखिल भारतीय अध्ययन

पीपीएसी द्वारा इस अध्ययन को खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचे गए डीजल की क्षेत्रवार खपत का पता लगाने के लिए चालू किया गया, जो देश की कुल डीजल खपत का लगभग 82 प्रतिशत आंका गया है ।

देश का शेष लगभग 18 प्रतिशत डीजल की बिक्री तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रत्यक्षतः रेलवे, रक्षा, भारी उद्योगों आदि को की जाती है। यह प्रारंभिक सर्वेक्षण 16 राज्यों से 150 जिलों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2000 खुदरा बिक्री केंद्रों पर किया गया था। यह अध्ययन अब संपन्न हो गया है और इसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिपत्रित कर दिया गया है।

5.5.5 वर्ष 2014– 15 के पश्चात घरेलू कच्चे तेल का आवंटन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से वर्ष 2014–15 से स्वदेश में उत्पादित कच्चे तेल के आवंटन के लिए उद्देश्यात्मक मानदंडों की सिफारिश करने के अनिवार्य आदेश के साथ महानिदेशक, पीपीएसी की अध्यक्षता में एक अध्ययन प्रारभ किया गया। इस समिति में तेल उद्योग और सीएचटी के रिफाइनिंग सेक्टर के सदस्य सम्मिलित किए गए हैं और इसने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बैठक की श्रृंखला आयोजित की है। समिति ने देश के महाद्वीपीय आकार और कच्चे तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों के व्यापक फैलाव को ध्यान में रखते हुए, आवंटन प्रयोजनों के लिए देश को क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित करने पर आधारित उद्देष्य संबंधी मानदंडों की सिफारिश की है। समिति द्वारा यह रिपोर्ट जनवरी 2014 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तत्पश्चात अप्रैल 2014 में तेल कंपनियों को कच्चा तेल आवंटित किया।

5.5.6 भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया का आकलन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आईईए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, पीपीएसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सहयोग से भारत के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया आंकलन (ईआरए) समन्वित किया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के एक संयोजन के माध्यम से सहसा तेल आपूर्ति में कमी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए देश की तैयारियों का पता लगाने हेतु आकलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें बढती आपूर्ति और मध्यम स्तरीय मांग दोनों शामिल किए गए हैं। भारत की आपतकालीन प्रतिक्रिया आकलन पर रिपोर्ट आईआईए द्वारा मार्च 2014 में प्रस्तुत की गई थी।

5.5.7 एशिया प्रशांत बाजार में एलएनजी का मूल्य निर्धारण" विषय पर भारत और जापान का संयुक्त अध्ययन

गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ओआईसीएल, बीपीसीएल, जीएसपीसी और हजीरा एलएनजी के सदस्यों के साथ भारत और जापान संयुक्त अध्ययन समूह के लिए महानिदेशक, पीपीएसी भारत की ओर से संयोजक के रूप में थे। इस संयुक्त अध्ययन का गठन, भारत और जापान ऊर्जा वार्ता के 6ठे दौर में विचार विमर्श की एक अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में अक्टूबर, 2012 में किया गया था। इस अध्ययन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एलपीजी के मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अध्ययन के निष्कर्ष पर आधारित एक संयुक्त बयान पर टोक्यो में 9 सितम्बर 2013 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और जापान के ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

अध्याय-IV

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है।

तद्नुसार, दिनांक 17.04.2009 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/5/2009 के द्वारा एक समिति का गठन तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नानुसार किया गया : –

(i)महानिदेशक, डीजीएच	अध्यक्ष
(ii)सचिव, तेउविबो	सदस्य
(iii)निदेशक (अन्वेषण), ओएनजीसी	सदस्य
(iv)निदेशक–आईआईपी, देहरादून	सदस्य
(v)निदेशक (आर एंड डी)–आईओसीएल	सदस्य
(vi)निदेशक (तकनीकी) –ई आई एल	सदस्य
(vii)महानिदेशक–पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति	सदस्य

महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं के द्वारा प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेउवि बोर्ड के नियम 24 (1)(2) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है। स्थापना के समय से, तेउवि बोर्ड/केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य संपन्न हो चुके हैं और उन्होंने तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अन्वेषण के नए क्षेत्रों की पहचान के रूप में तेल उद्योग के लिए अत्याधिक लाभ अर्जित किए हैं।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

तेउवि बोर्ड द्वारा महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, समय–समय अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

2.2 अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं – 0.23 करोड़ रुपए का अनुदान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से संचालित, एनजीएचपी राष्ट्रीय

अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है।

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान – 01 ने सफलतापूर्वक कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। इसने भारतीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाया है। इन खोजों ने देश के साथ–साथ विदेशों में भी गैस हाइड्रेट के व्यापक और गहन अनुसंधान को प्रेरणा प्रदान की है। अध्ययनों के परिणामस्वरूप बडी संख्या में प्रकाशन तथा वैज्ञानिक डेटा भी सामने आए हैं। जैसा कि गैस हाइड्रेट अभी भी वैश्विक अनुसंधान स्तर पर है और किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन समुद्रीय गैस हाइड्रेट्स से सिद्ध नहीं किया गया है, इन आंकडों तथा प्रकाशनों का गैस हाइड्रेट के क्षेत्र के आगामी अनुसंधान के लिए अत्याधिक महत्व है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण परियोजना की परिकल्पना में, सभी अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक जांचों को एक एकल मॉड्यूल में समामेलित करने की अभिच्छा है जिससे अनुसंधानकर्ता देश में गैस हाइड्रेट के क्षेत्र में किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रगति को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण का विचार, भावी वैज्ञानिकों की आगामी शोध तथा अध्ययन को बढावा देने का है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के माध्यम से एनजीएचपी अभियान–01 के दौरान बडी मात्रा में उत्पन्न डेटा एनजीएचपी के भावी कार्यक्रमों को भी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं । वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है।

3.1 डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं – वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी)

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की 73वीं बैठक हैदराबाद में 7 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी। सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की संशोधन उपरांत समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

1 बिट्स पिलानी, गोवा कैम्पस, गोवा की पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रणालियों में कोक उपशमन पर प्रायोगिक और उत्प्रेरण अध्ययन।

2 बीपीसीएल – अनुसंधान एवं विकास द्वारा तापीय द्रव्यों तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए बाईफिनाइल के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रक्रियात्मक जानकारी का विकास ।

इसके अलावा, वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित नये परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

1 बीपीसीएल– अनुसंधान एवं विकास तथा ईआईएल– अनुसंधान एवं विकास का ''डीसाल्टर डिजाइन हेतु पैरामीटिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास''।

2 आईआईसीटी, हैदराबाद के ''3 बीआरडी, चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना द्वारा टीवी 2 एरो इंजन पर स्वदेशी रूप से विकसित एसएएल तथा जमीनी व उड़ान के दौरान जांच सहित सिंथेटिक विमानन लूब्रिकेट्स–चरण–।।''

एसएसी ने हाइड्रोजन कॉर्पस निधि (एचसीएफ) के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्त–पोषित हाइड्रोजन परियोजनाओं को पूर्ण करने के पश्चात परिणामों पर भी विचार विमर्श किया ।

1 एचपीसीएल तथा आईआईटी, दिल्ली द्वारा ''कैटेलेटिक अपघटन द्वारा प्राकृतिक गैस (मिथेन) से हाइड्रोजन का उत्पादन''।

2 एचपीसीएल तथा गीतम विश्वविद्यालय, विज़ाख के ''हाइड्रोजन के भण्डारण के लिए धातु–आर्गेनिक ढांचागत सामग्रियों का डिजाइन और निर्माण''।

4 तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों यथा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) इत्यादि को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चला सकें।

वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है : –

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	संस्थानों के नाम	राशि
	क अनुसंधान एवं विकास अनुदान	
1	राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी चरण –।।)	0.23
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई	0.06
	कुल	0.29
	ख तेउविबो/भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाएं	
3	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), रायबरेली	23.68
	कुल	23.68

4.1 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम विश्व के गहन समुद्रों की तलहटियों तथा अत्यधिक जमे हुए क्षेत्रों के नीचे के ठोस पदार्थों से मीथेन का उत्सर्जन करके उसे भविष्य के वैकल्पिक ऊर्जा–स्रोतों के रूप में उपयोग करने हेतु गैस हाइड्रेट की व्यवस्था करने के लिए है। भारत में, इस कार्यक्रम का आरंभ सरकार द्वारा एनजीएचपी की एक संचालन समिति तथा तकनीकी समिति के द्वारा 1997 में किया गया था । तकनीकी समिति द्वारा भूकंपीय आँकड़ों की पुनरीक्षा के आधार पर दो भारतीय जल क्षेत्रों, जिनमें एक पूर्वी तट पर तथा दूसरा पश्चिमी तट पर स्थित है, की पहचान भावी अनुसंधान और विकास कार्य के लिए "आदर्श प्रयोगशाला क्षेत्र" के रूप में की गई है। भारतीय अपतटों के केजी, महानदी एवं अंडमान अपतटीय गहन समुद्री जलीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के पश्चात और गैस हाइड्रेट से मिथेन के अन्वेषण एवं अवशोषण में हित की वाणिज्यिक प्रकृति का अवलोकन करने के पश्चात, एनजीएचपी ने केजी गहन समुद्री क्षेत्र पर ध्यान संकेन्द्रित करने तथा गैस हाइड्रेट से मीथेन के वाणिज्यिक अवशोषण हेतु प्रौद्योगिकीय विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास पर बल देने के लिए एक रणनीति को अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए, केजी अपतट पर गैस हाइड्रेट के संसाधन आकलन को प्राथमिकता दी गई है ।

एनजीएचपी राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल

इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) तथा नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) का एक परिसंघ है, जिसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा समन्वित (तकनीकी समन्वय) किया जाता है और इसकी एक संचालन समिति है जिसकी अध्यक्षता सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं की पुनरीक्षा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित इस संचालन समिति द्वारा कर ली गई है । राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए कार्यान्वित एनजीआरआई, ओएनजीसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा की परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही हैं ।

अब तक एनजीएचपी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए तेउविबो द्वारा लगभग 141.23 करोड़ रूपये की कुल राशि दी गई है जो मार्च 2014 तक तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयों द्वारा प्रदान की गई 73 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त है ।

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) अभियान – 02

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान – 02 के लक्ष्य तथा उद्देश्य गैस हाइड्रेट धारित बालू की पहचान करना है, गैस हाइड्रेट स्थिरता क्षेत्र के नीचे निर्बाध गैस की पहचान करना है और एनजीएचपी अभियान – 03 का कार्यान्वयन करने के लिए प्रयोगिक उत्पादन परीक्षण के लिए उचित स्थल की पहचान करना है। संभावित बालू चैनल प्रणाली की पहचान करने के लिए 3डी भूकंपीय डेटा व्याख्या का कार्य प्रगति पर है। अध्ययनों के परिणामों द्वारा एनजीएचपी अभियान–02 के लिए संभावित स्थल प्राप्त हो जाएंगे। एनजीएचपी अभियान–02 में एक विशिष्ट लॉगिंग का शामिल होना संभावित है जबकि वेधन कार्यक्रम को चयनित कोरिंग के पश्चात किया जाएगा ।

स्थलों की पहचान :

एनजीएचपी अभियान–02 के स्थलों की पहचान के लिए भूभौतिकीय अध्ययन का कार्य जनवरी 2013 तक पूरा कर लिया गया था। कुल प्रस्तावित 73 स्थलों की आंतरिक तथा तत्पश्चात अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक विशेषज्ञ दल द्वारा मई 2013 में समीक्षाएं की गईं थीं। आंतरिक वैज्ञानिकों तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 20 स्थलों की पहचान की गई थी और उन्हें एनजीएचपी की तकनीकी समिति तथा संचालन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित कर दिया गया था। एनजीएचपी की संचालन समिति की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई और इस समिति द्वारा 20 स्थलों पर एनजीएचपी अभियान–02 के निष्पादन के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। एनजीएचपी अभियान–02 में 20 स्थलों पर एलडब्ल्यूडी, कोरिंग और वायर लाइन लॉगिंग शामिल होंगे। संचालन समिति ने एनजीएचपी अभियान–02 के व्यय में हिस्सेदारी और डीजीएच को परिणाम प्रस्तुत करने के लिए ओएनजीसी को एनजीएचपी अभियान–02 की निष्पादन इकाई के रूप में नामांकित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।

4.2 भारतीय प्रौघोगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई (0.06 करोड़ रुपए का अनुदान)

''ऑर्गेनिक ज्योकैमिस्ट्री ऑफ द लिग्नाइट बियरिंग पैलियोजीन सीक्वंस ऑफ सलेक्टिड सेक्शंस ऑफ गुजरात एंड राजस्थान'' नामक मौजूदा अनुसंधान परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकृत की गई थी तथा तेउविबो द्वारा इसे अनुदान की प्रथम किश्त दिनांक 29.1.2011 को तथा 5.98 लाख रुपए की द्वितीय किश्त दिनांक 18.10.13 को जारी की गई थी।

इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम भारत के पैलियोजीन लिग्नाइट तथा कार्बनेशियस शैल का मूल्यांकन हाइडोकार्बन के स्रोत की संभावना के रूप में करना है। संस्थान द्वारा सेनोजाइक रोजीन

कैमेस्ट्री की तथा साथ साथ कच्छ के मैजोझिक सेडिमेंट की विस्तार से जांच की है।

आईआईटी, बॉम्बे द्वारा कॉम्बे तथा कच्छ बेसिन के लिग्नाइट धारित खंडों के आर्गेनिक ज्योकैमिस्ट्री से संबंधित कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं तथा बाड़मेर बेसिन में लिग्नाईट–धारित खंड के आर्गेनिक ज्योकैमिस्ट्री से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

4.3 राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी) की स्थापना संसद के अधिनियम (2007 का अधिनियम 54) के अंतर्गत की गई। यह संस्थान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है और इस संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से तथा तेउविबो के अनुदान द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान के आवर्ती व्ययों की पूर्ति छात्रों से मिलने वाली फीस के संग्रहण के अलावा मुख्य तेल कंपनियों (ओएनजीसी, आईओसीएल, ओआईएल, गेल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) द्वारा संचित निधि में योगदान द्वारा की जाती है ।

आरजीआईपीटी के उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए एक शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना है। आरजीआइपीटी का अपना परिसर उत्तर प्रदेश राज्य के जैस में निर्माणाधीन है।

संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष 2008 से रायबरेली तथा नोएडा के अस्थाई परिसरों में आयोजित की जा रही हैं। वर्तमान में आरजीआईपीटी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:–

(क) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी टैक

(ख) कैमिकल इंजीनियरिंग में बी टैक

(ग) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एम टैक

(घ) कैमिकल इंजीनियरिंग में एम टैक

(ड़) पेट्रोलियम एवं उर्जा प्रबंधन में एम बी ए, और

(च) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पीएचडी (2012 से आरंभ)

अपने परिसर के शैक्षणिक कार्यो को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, आरजीआईपीटी द्वारा असम राज्य में संघटक शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम के

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का निमार्णाधीन रायबरेली परिसर

अपस्ट्रीम क्षेत्र में कुशल व्यक्तियों की शिक्षा व प्रषिक्षण से संबंद्ध पूर्ति करेगा ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने आरजीआईपीटी के पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान का निम्नानुसार अनुमोदन किया है :

(क) जैस/रायबरेली केन्द्र 150 करोड़ रुपए

(ख) असम केन्द्र 93 करोड़ रुपए, इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की राशि असम केन्द्र के आरभिक व्यय लिए स्वीकृत किए गए ।

जैस और शिवासागर (असम) के परिसरों के निर्माण कार्य में विभिन्न कारणों से विलंब हुआ है। 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो ने 43.83 करोड़ रुपए जैस परिसर और 1.82 करोड़ रूपये असम केन्द्र के लिए जारी किए हैं ।

5. हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है :

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है। तेउविबो द्वारा अब तक 40 करोड़ रुपए की राशि का इस कोश में योगदान दिया गया है। मेसर्स आईओसीएल और ओएनजीसी द्वारा पहले से ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ कर दी हैं ।

प्रारंभ में, एसएसी/संचालन समिति द्वारा एचसीएफ के लिए 45.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 10 परियोजनाऐं अनुमोदित की गईं थीं। तत्पश्चात, 8.76 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं समाप्त कर दी गईं थीं । 31.3.2014 तक एचसीएफ से 7.70 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई थी जिसमें नेकस्ट स्टैप कार्यक्रम के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल थे। जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान नेक्स्ट स्टैप कार्यक्रम के लिए 0.37 करोड रुपए सहित 0.84 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा, दो गैर–परियोजना गतिविधियों को भी एचसीएफ के तहत लिया गया था जिसमें से एक का कार्य संपन्न हो गया है और अन्य का कार्य जारी है। मार्च 2014 के अंत तक एचसीएफ के संचित कोश की राशि ब्याज सहित 139.96 करोड़ रुपए थी ।

हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) की संचालन समिति की चौथी बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व अनुमोदित सात (7) हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई थी और इसकी 72वीं बैठक में एसएसी द्वारा अनुशंसित ''एचपीसीएल और टेरी की संयुक्त डार्क एंड फोटो फर्मेंटेटिव प्रक्रिया के माध्यम से जैव–हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण'' नामक परियोजना के प्रस्ताव के मामले में काम के दायरे में परिवर्तन को भी अनुमोदित किया गया था।

एचसीएफ के अंतर्गत निम्नलिखित दो परियोजनाएं वर्ष 2013–14 में पूर्ण कर ली गईं थीं :

1 एचपीसीएल और आईआईटी–दिल्ली की ''उत्प्रेरक अपघटन द्वारा प्राकृतिक गैस (मीथेन) से हाइड्रोजन का उत्पादन''

2 एचपीसीएल और गीतम विश्वविद्यालय की ''हाइड्रोजन के भंडारण के लिए धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क सामग्री का डिजाइन और निर्माण''

एचसीएफ, के तहत वित्त पोषण के लिए संचालन समिति द्वारा अनुमोदित शेष पाँच (5) परियोजनाएं जिनका कार्य प्रगति पर हैं, निम्नानुसार हैं :

1 आईओसी (आर एंड डी) द्वारा ''मोटर वाहनों में हाइड्रोजन – सीएनजी मिश्रणों का प्रयोग'' संबंधी प्रदर्शन परियोजना

2 ओएनजीसी द्वारा तापीय – रसायन द्वारा से हाइड्रोजन का उत्पादन

3 बीपीसीएल (आर एंड डी) द्वारा प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हाइब्रिड–सोर्पशन विकसित भाप में सुधार

4 एचपीसीएल और टेरी द्वारा संयुक्त डार्क एंड फोटो संयुक्त डार्क एंड फोटो फर्मेंटेटिव प्रक्रिया के माध्यम से जैव–हाइड्रोजन उत्पादन का एक एकीकृत दृष्टिकोण

5 आईओसी और आईटीबीएचयू द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए जल के पृथकीकरण से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए मॉड्यूलर रिएक्टरों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर फोटो–उत्प्रेरक प्रक्रिया का विकास

6. राज्य सरकारों को रॉयल्टी

सरकार के निदेशानुसार, तेउविबो द्वारा नेल्प के प्रथम एवं द्वितीय दौरों में खोजे गए क्षेत्रों से संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) में राजकोषीय स्थिरता पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और संविदाकारों को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया है।

अध्याय-V

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

1. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एस पी वी) के माध्यम से 5 एमएमटी क्षमता के कच्चे तेल का एक सामरिक भंडार बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात, दिनांक 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। ये भंडारण संस्थापन तीन स्थानों पर निर्माणाधीन हैं – विशाखापट्टनम (1.00 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी)। कार्य संपन्न हो जाने पर, इन भंडारों में भारत के लिए 13 दिवसीय निवल आयात संबंधी आवश्यकता के समान कच्चे तेल का भंडारण किया जाएगा।

चार्ट सं0 11 आईएसपीआरएल

2. इन सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत सितम्बर 2005 के मूल्य सूचकांक के अनुसार 2,397 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो उत्तरोत्तर संशोधन होने से 3,958 करोड़ रुपए हो गई। इन तीन स्थानों का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) है : विशाखापट्टनम् – 1,038 करोड़ रुपए, मगलौर – 1,227 करोड़ रुपए और पादुर – 1,693 करोड़ रुपए। आईएसपीआरएल की दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 3724 करोड़ रुपए और 2397 करोड़ रुपए है। तेउविबो द्वारा आईएसपीआरएल में दिनांक 31.03.2014 तक इसकी इक्विटी भागीदारी के रूप में 2891.67 करोड़ रुपए का योगदान किया गया है।

3. सरकार द्वारा संसूचित किए गए निर्णय के अनुसार, विशाखापट्नम में 0.3 एमएमटी के कक्ष के अतिरिक्त, इन भंडारों के निर्माण की पूंजीगत लागत को तेउविबो के पास उपलब्ध मौजूदा निधियों से पूरा किया जाएगा, इसकी पूर्ति अनुपातिक लागत भागीदारी आधार पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी।

4. आईएसपीआरएल के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–14 के दौरान कच्चे तेल को भरने की लागत के लिए योजना आयोग, भारत सरकार, द्वारा भी 4948 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन तीन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

5. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता 1.33 एमएमटी)

5.1 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) आईएसपीआरएल द्वारा इस परियोजना के लिए नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) है। इस परियोजना के लिए 67 एकड़ भूमि की संशोधित आवश्यकता में से, 37 एकड़ को विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से पट्टे पर लिया गया है और शेष 30 एकड़ के लिए पूर्वी नौसेना कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईएसपीआरएल के अनुसार, सभी प्रकार की सांविधिक मंजूरियां प्राप्त की गई हैं।

5.2 अनुपूरक स्थल की जांच के पश्चात, अतिरिक्त क्षमता के लिए अल्प सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार के अनुमोदन से कंदरा क्षमता में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि की गई थी।

5.3 भूमिगत कार्य मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए गए थे। दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, सभी प्रकार के भूमिगत उत्खनन कार्यों के साथ साथ फर्श संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया था। इसमें कंदरा ए1 में मरम्मत और सुधार कार्य शामिल थे, जहां अप्रैल, 2011 में एक रॉक स्लाइड घटना हुई थी। तत्पश्चात कंदरा ए को भूतल से उपर के कार्य के संविदाकार को उसके हिस्से के कार्य हेतु सौंप दिया गया था । भूतल से उपर के कार्य को मेसर्स आईओटीआईईएसएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, कंदरा ए के शॉफ्ट के अतिरिक्त, सभी प्रकार के प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। कमीशन पूर्व प्रणालीवार गतिविधियों को आरंभ कर दिया गया है।

5.4 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, समग्र परियोजना प्रगति 95.1 प्रतिशत थी। कंदरा ए1 में रॉक स्लाइड

विशाखापट्टनम में सुरंग में प्रवेश का दृश्य

विशाखापट्टनम में भूतल से उपर का दृश्य

की घटना ने कार्य संपन्नता कार्यक्रम पर प्रतिकूप प्रभाव डाला। अब तक की गई प्रगति के आधार पर, इस परियोजना की अनुमानित यांत्रिकीय कार्य समापन तिथि 30 सितंबर, 2014 है।

6. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी) :

6.1 ईआईएल, आईएसपीआरएल द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। आईएसपीआरएल द्वारा इस परियोजना के निर्माण कार्य हेतु मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड (एमएसईज़ेडएल) से कुल 104.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। आईएसपीआरएल के अनुसार, सभी प्रकार की सांविधिक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

6.2 भूमिगत सिविल कार्य मेसर्स एस के इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर (एसकेईसी – केसीटी संयुक्त उद्यम) की एक संयुक्त उद्यम द्वारा किए गए थे। भूतल से ऊपर के कार्य आईएसपीआरएल द्वारा मेसर्स पुंज लॉयड को सौंपे गए थे । दिनांक 31 मार्च 2014 तक, संपूर्ण उत्खनन और फर्श संबंधी कार्य पूरे हो गए थे। भूतल से ऊपर के कार्य के संविदाकार ने कंदरा बी तथा शॉफ्ट ए के सभी प्रकार के पाइप संबंधी कार्य भी पूरे कर लिए हैं। प्रशासनिक भवन का कार्य भी संपन्न हो चुका है और नियंत्रण कक्ष तथा सबस्टेशन भवन का कार्य समापन की अंतिम अवस्था में है। नाइट्रोजन टैंक, बॉयलर स्थापित कर दिए गए हैं।

6.3 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार समग्र परियोजना की प्रगति 89.8 प्रतिशत थी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, भूतल से ऊपर के कार्य के संविदाकार के कार्य की गई प्रगति के आधार पर इस परियोजना के यांत्रिकीय कार्य संपन्न होने की प्रत्याशित तिथि 31 अक्टूबर, 2014 है । इस परियोजना को अंतिम रूप से कमीषन किया जाना एक वॉल्व स्टेशन के माध्यम से मंगलौर पोर्ट से मंगलौर गुफा तक के लिए एक पाइप लाइन बिछाने पर निर्भर करता है । इस पाइप लाइन बिछाने का कार्य आदेष जुलाई 2014 को जारी किया गया था । कमीशन संबंधी कार्यववाही 31 अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण होना निश्चित है।

मंगलौर में भूतल से उपर का दृश्य

7. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 मिलियन मीट्रिक टन) :

7.1 ईआईएल, आईएसपीआरएल द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। आईएसपीआरएल द्वारा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से उदुपि जिले के पादुर हेरूरु ग्राम में 179. 21 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। इसमें से

138.57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और शेष 40.6 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण कार्य प्रक्रियाधीन है।

7.2 भूमिगत सिविल कार्य दो भागों अर्थात भाग ए और भाग बी में विभाजित किए गए थे। दिनांक 29.12.2009 को भाग ए कार्य मेसर्स एचसीसी को और भाग बी के कार्य मेसर्स एसकेईसी – केसीटी संयुक्त उद्यम को सौंपे गए थे। निर्माण गतिविधियों को प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि 29.05.2010 थी अर्थात वह तिथि जिस पर भूमि आईएसपीआरएल को केआईएडीबी द्वारा सौंप दी गई थी। 31 मार्च, 2014 तक दोनों भाग ए और भाग बी के समस्त उत्खनन सहित कंदरा के भीतर फर्श और भूमिगत पाइपिंग का कार्य समाप्त हो गया है। भूतल से उपर का कार्य 11.11.2011 को मेसर्स लिंडे इंजीनियरिंग को सौंपा गया था। प्रशासनिक भवन, नियंत्रण कक्ष, सबस्टेशन और अग्नि स्टेशन का कार्य संपन्न हो चुका है।

7.3 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार समग्र परियोजना की प्रगति 93.3 प्रतिशत थी । संविदाकार के कार्य की गई प्रगति के आधार पर इस परियोजना का यांत्रिकीय कार्य समापन दिनांक 30 सितंबर, 2014 को होना अनुमानित है। इस परियोजना का अंतिम रूप से समापन वॉल्व स्टेशन के माध्यम से एलएफपी से पादुर कंदरा तक पाइपलाइन बिछाने के कार्य पर निर्भर करता है, जिसका कार्य जुलाई 2014 को सौंपा गया है। पाइप लाइन बिछाने के कार्य सौंपे जाने की तिथि से 15 माह अर्थात 31 अक्टूबर 2015 तक कमीशन किया जाना सुनिश्चित है ।

पादुर में भूमि के उपर की सुविधाओं का परिदृश्य

स्थिति	विशाखापट्टनम	मंगलौर	पादुर
भण्डारण क्षमता	1.03 एमएमटी	1.5 एमएमटी	2.5 एमएमटी
निर्माण की निर्धारित तिथि	जनवरी, 2008	फरवरी, 2009	मार्च, 2010
वास्तविक प्रगति	95.1%	89.8%	93.3%

8. नीतिपरक भडारण कार्यक्रम का द्वितीय चरण

8.1 ईआईएल को नीतिपरक भडारण कार्यक्रम का द्वितीय चरण के लिए की विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने का कार्य जुलाई 2011 को सौंपा गया था । चार स्थल व्यवहार्यता पूर्व चरण के आधार पर निम्नानुसार अभिज्ञात किए गए थे :

1 पादुर 5.0 एमएमटी (भूमिगत चंट्टानी कंदरा)

2 चांदीखोल 2.5 एमएमटी (भूमिगत चंट्टानी कंदरा)

3 बीकानेर 2.5 एमएमटी (नमक से भरी कंदराएं)

4 राजकोट 2.5 एमएमटी (भूमिगत ठोस टैंक)

8.2 ईआईएल द्वारा आईएसपीआरएल के चार स्थलों के लिए डीएफआर प्रस्तुत कर दिए गए हैं । डीएफआरज़ की क्षमता को पादुर के ग्रामों से विरोध का सामना करने के पष्चात संशोधित कर दिया गया था। स्थलों के लिए संशोधित प्रस्तावित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :

1 पादुर 2.5 एमएमटी (भूमिगत चंट्टानी कंदरा)

2 चांदीखोल 3.75 एमएमटी (भूमिगत चंट्टानी कंदरा)

3 बीकानेर 3.75 एमएमटी (नमक से भरी कंदराएं)

4 राजकोट 2.5 एमएमटी (भूमिगत ठोस टैंक)

8.3 प्रस्तावित नमक से भरी कंदरा को राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में उपलब्ध नमक की मोटी परतों में बनाया जाना प्रस्तावित है । राजकोट में प्रस्तावित भूमिगत ठोस टैंक में दोहरे रोकथाम सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा । भंडार के दोनों प्रकार देश में पहली बार लागू किए जाएंगे । नमक भरी कंदरा का उपयोग अमरीका, जर्मनी आदि जैसे देशों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है । भूमिगत ठोस टैंक का उपयोग दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है । जबकि भूमिगत ठोस टैंक की जानकारी उपलब्ध है परंतु अन्य दो प्रौद्योगिकियां अर्थात सॉल्ट लीच्ड कैवर्नस तथा अंडरग्राउंड कंकरीट टैंक्स, इनका नई प्रौद्योगिकी होने के कारण, देश में वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः विदेशी सहयोग परामर्ष सेवाएं अपेक्षित हैं।

8.4 ईआईएल द्वारा प्रस्तुत डीएफआरज़ के अनुसार आईएसपीआरएल से प्राप्त सूचना के आधार पर, चरण 2 भण्डारण की अनुमानित लागत निम्नानुसार ब्यौरों के अनुसार 13.216 करोड़ रुपए होगी :

स्थल	क्षमता (एमएमटी)	भण्डारण का प्रकार	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपए में)	पाइपलाइन स्थापना की लागत (करोड़ रुपए में)
बीकानेर, राजस्थान	3.75	भूमिगत नमक कंदराएं (यूएससी)	1306.89	1762.95
चांदीखोल, उड़ीसा	3.75	भूमिगत नमक कंदराएं (यूएससी)	2959.84	863.42
राजकोट, गुजरात	2.5	भूमिगत कंक्रीट टैंक (यूसीटी)	1897.40	1303.56
पादुर, कर्नाटक	2.5	भूमिगत चट्टानी कंदराएं (यूआरसी)	2226.36	895.55
कुल	**12.5**		**8390.49**	**4825.48**

अध्याय-VI

अन्य पहलें / गतिविधियां

1. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना

सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) एवं अध्यक्ष, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 4 सितंबर, 2013 को तेल उद्योग विकास बोर्ड की 86वीं बोर्ड बैठक के दौरान तेल और गैस क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद की जरूरत के मुद्दे को उठाया। हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद की जरूरत के आकलन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उद्योग कंपनियों आदि के प्रतिनिधियों के साथ 18 अक्टूबर 2013 को एक बैठक का आयोजन किया । यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा कौशल अंतर को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद (एचएसएससी) की स्थापना करने की जरूरत है ।

सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) ने दिनांक 11.12.2013 को सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों, सेवा प्रदाताओं आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और यह निर्णय लिया गया कि – (1) तेउविबो और पेट्रोफेड, एनएसडीसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आवेदन दाखिल करेंगे, (2) पेट्रोफेड, एचएसएससी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे (3) अध्यक्ष, पेट्रोफेड द्वारा एचएसएससी की स्थापना के लिए संचालन समिति का गठन करेंगे (4) राजस्व मॉडल, परियोजना रिपोर्ट तथा कार्य योजना को पेट्रोफेड द्वारा तैयार किया जाएगा (5) तेल कंपनियां एचएसएससी के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग कर सकती हैं । एचएसएससी का फोकस उन व्यक्तियों/कामगारों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण (छह माह से अधिक नहीं) पर संकेंद्रित होगा, जिन्होंने तेल और गैस उद्योग द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य योग्यता (अर्थात आईटीआई से प्रमाण पत्र) धारित की है।

तदनुसार, प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना के लिए पेट्रोफेड साथ तेउविबो के बीच सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपस्थिति में दिनांक 31.01.2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 31.01.2014 को राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) में एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया । राजस्व मॉडल को विकसित किए

सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति में सचिव, तेउविबो तथा महानिदेशक, पेट्रोफेड, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

जाने और सीएसआर निधियों से वित्तीय सहायता के अलावा अन्य बातों के साथ साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योग से योगदान द्वारा एचएसएससी को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव वांछित है।

इसी दौरान, औद्योगिक समूह ने सम्पूर्ण हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र तथा हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र को निर्माण सेवाओं को कवर करते हुए 134 व्यापार क्षेत्रों की पहचान की है। प्रमाण पत्र पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रक्षेपित प्रशिक्षण योजना में आगामी 10 वर्षों में 19,50,000 कामगारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

एचएसएससी के उद्देश्यों में (1) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए एक कुशल मानवबल समूह को तैयार करना (2) नए कौशलों की बेंचमार्किंग तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का कौशल उन्नयन (3) आर्थिक और सामाजिक समानता के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना (4) जनसांख्यिकीय लाभांश में सुधार (5) उत्पादकता और क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार शामिल हैं ।

2. तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था । तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी) पदेन, ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी अपर सचिव (पीएनजी) पदेन और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप इस ट्रस्ट में है। मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के रूप में, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोश में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/प्रधानमंत्री राहत कोश और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 13.10 करोड़ रुपए की शेष निधियों (ब्याज सहित) को तेउविबो राहत ट्रस्ट में रखा गया था। इस ट्रस्ट को इसके समापन तक आंकलन वर्ष 2011–12 के पश्चात से आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत छूट प्रदान गई है । चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःषक्तों का कल्याण ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से निःषक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त जन/अन्य पिछड़ा वर्ग की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रोस्टरों के निरीक्षक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया

जाता था और इनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई थी ।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त जन के आरक्षित कोटे के स्थान पर उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

4. कल्याण, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण :

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 22 कर्मचारियों में 4 महिलाकर्मी हैं।

5. सरकार की राजभाषा नीति

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहता है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाशी हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा समिति कार्यरत है । यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति व कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो को पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ।

वर्ष 2013–14 के दौरान, हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए थे, जैसे कि :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 01.09.2013 से 14.09.2013 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया ।

  बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं । इनमें समाचार लेखन, निबंध लेखन, राजभाषा की जानकारी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आदि शामिल किया गया। विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- तेउविबो द्वारा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जो हिन्दी में प्रवीण हैं, निर्देश जारी किए गए कि वे अपने सभी कार्य केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत करें ।

- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अद्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं थीं ।

- हिन्दी भाषा में प्रकाशित पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र क्रय किए गए थे और वे तेउवि बोर्ड के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहायक पुस्तकें जैसे कि हिन्दी तकनीकी शब्दावली, हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोश आदि उपलब्ध कराये गए।

- तेउविबो में हिन्दी के प्रयोग के प्रभावी प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विकास संबंधी विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं।

- वर्ष 2013–14 के दौरान भी तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन

जारी रखा। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के अलावा इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है।

- तेउविबो द्वारा फरवरी, 2014 में अपना प्रथम न्यूज़लैटर (समाचार पत्रिका) का प्रकाशन किया गया।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, डीसीएफ एवं लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (पी एंड ए) क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा लोक आसूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2013–14 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 4 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन अभ्यावेदनों/प्राप्तियों में से 4 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों को प्रत्युत्तर प्रेषित किए गए हैं। शेष अभ्यावेदनों/प्राप्तियों को सूचना का अधिकार अधिनियम में विनिर्धारित की गई समय–सीमा के भीतर निपटाया जाएगा।

अनुलग्नक

केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आबंटित की गई धनराशि से संबंधित स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह किया गया उपकर	सरकार द्वारा ते.उ.वि.बो का किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
	कुल	**133,049.33**	**902.40**

(*अनंतिम) ते.उ.वि.बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकडे ओएनजीसी, ओआईएल एवं डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं

अध्याय-VII

तेउविबो वार्षिक लेखे 2013–14

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

कॉपर्स पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनूसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष 31.03.2012
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	2	1007700	982415
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	62914	38929
योग		**1160854**	**1111584**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ (निवल ब्लॉक)	8	12996	14558
प्रगतित कार्य	8	7	7
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	244734	201961
चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	903117	895058
विविध खर्चें (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)		0	0
योग		**1160854**	**1111584**
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	26		

ह0

(एम. सी. सिंह)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0

(एल.एन.गुप्ता)
सचिव

दिनांक: 17.07-14
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि रूपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
ब्रिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सिडी	13	0	0
फीस / अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा ब्रिक्री से आय	16	56	509
अर्जित ब्याज	17	67003	69696
अन्य आय	18	483	227
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोतरी / (कमी)	19	0	0
योग (क)		**67542**	**70432**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	514	416
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	946	635
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	15168	15246
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	11000	13735
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		0	0
फ्रिज लाभकर		0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)		1609	1707
योग (ख)		**29237**	**31739**
खर्च पर आय के अधिक्य का शेष (क–ख)		38305	38693
आयकर के लिए प्रावधान		13020	11957
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉपर्स / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**25285**	**26736**
विशेष लेखा नीतियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां	26		

ह0 ह0

(एम. सी. सिंह) (एल.एन.गुप्ता)

वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी सचिव

दिनांक: 17.07-14

स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोडें : कॉपर्स / पूँजीगत निधि में योगदान	-		-	
जोडें / (घटाएं) : आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	-		-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ				
1. **पूंजीगत आरक्षित निधि**				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
2. **पुर्नः मूल्यांकन आरक्षित निधि**				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
3. **विशेष आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
4. **सामान्य आरक्षित निधि**				
विगत लेखो के अनुसार		982415		959537
वर्ष के दौरान जमा				
i) व्यय पर आय से अधिक्य	25285		26736	
ii) आय से प्रतिदेय (पिछले वर्ष)	0		1005	
iii) लेखा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त प्रावधानों का समायोजन	0	25285	1	27742
घटाएं : पिछले वर्षो में अतिरिक्त कर भुगतान का समायोजन		0		4864
कुल योग :		**1007700**		**982415**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनूसूची 3 चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण योग						
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में परिवर्धन (i) दान / अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य						
योग (क+ख)							
ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्चे **(i) पूँजीगत खर्चे** - अचल परिसम्पत्तियाँ - अन्य योग : **(ii) राजस्व खर्चे** - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्चे योग :	शून्य						
योग : (ग)	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष : (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-	-

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 4, आरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
4. बैंक	शून्य	
क) आवधिक ऋण		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	शून्य	
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 6 – अस्थगित जमा देनदारियाँ		
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बधंक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	
ख) अन्य		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिशोध्य	-		-	
ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	22425		11425	
ख) आर कर / टीडीएस / वर्कस कॉनट्रेक्ट देय कर	10		26	
ग) ठेकेदारों को भुगतान	396		413	
घ) अन्य	353		236	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	77		115	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दरें (ठेकेदारों के कारण)	147	23408	236	12451
योग (क) :		**23408**		**12451**
ख. प्रावधान				
1. करों के लिए		39438		26418
2. ग्रेज्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		63		57
5. व्यापार वारंटी / दावे		-		-
6. अन्य (लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक के लिए प्रावधान)		5		3
योग (ख)		39506		26478
योग (क+ख)		**62914**		**38929**

तेल उद्योग विकास बोर्ड 31.03.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनुसूची 8 – स्थाई परिसम्पतियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	01.04.13 से आरंभ वर्ष में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटोतियाँ	**31.03.14** वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	**01.04.13** वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	**31.03.14** को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	**31.03.14** को चालू वर्ष के अन्त में	**31.03.13** को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
क) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे पर	974	34	0	1008	0	0	0	0	1008	974
2 भवन										
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे वाली भूमि पर	10232	0	0	10232	1598	864	0	2462	7770	8633
ग) स्वामित्व मकान / परिक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	17	1	0	18	14	15
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2936	0	0	2936	594	351	0	945	1991	2342
4. वाहन	7	0	0	7	5	0	0	5	2	2
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	3007	3	0	3010	448	384	0	832	2178	2559
6. कार्यालय उपस्कर	47	2	0	49	35	2	0	37	12	12
7. कम्प्यूटर / बाह्य उपकरण	43	7	0	50	40	4	0	44	6	3
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	23	0	0	23	5	3	0	8	15	18
चालू वर्ष का योग :	**17301**	**46**	**0**	**17347**	**2742**	**1609**	**0**	**4351**	**12996**	**14558**
गत वर्ष :	**16991**	**312**	**2**	**17301**	**1035**	**1707**	**0**	**2742**	**14558**	**15956**
ख. पूंजीगत चालू कार्य	**7**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 9 – चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	शून्य	
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग	-	-

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 10 – अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लारी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम (आई एस पी आर एल)	239700	196927
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग :	**244734**	**201961**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि				
क चालू परिसम्पत्तियाँ				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगतित कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. **फुटकर देनदारी**				
क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदरियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. **कुल नकद शेष (चैक / ड्राफट / अग्रदाय साहित)**		0		1
4. **बैक शेष**				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	0		46700	
- बचत खातों पर	18544	18544	4168	50868
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	-		-	
- बचत खातों पर	-	-	-	-
5. **डाक घर – बचत खाते**		-		-
योग (क) :		**18544**		**50869**

(राशि लाख रूपये में)

ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. ऋण				
क) स्टाफ	29		35	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	782415		772548	
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
2. अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्त है		**7824444**		**772583**
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम)	49467		37440	
ख) अग्रिम किराया	0		0	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर/टीडीएस, एमएम सैल, प्रतिभूति जमा तथा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है)	42965	**92432**	30144	**67584**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित / अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	3		13	
ग) ऋण एवं अग्रिम	6958		4299	
घटाएं : संदिगध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षो में किया)	2714		2714	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	6	**4253**	6	**1604**
4. वसूली योग्य दावे				
(i) विरोध के तहत भुगतान किया गया कर	5217		2363	
(ii) प्राप्त राशि	227	**5444**	55	**2418**
योग (क)		**884573**		**844189**
योग (क+ख)		**903117**		**895058**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 12 – ब्रिक्री / सेवाओं से आय		
1. ब्रिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओ से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / सम्पत्ति) ड.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 13 – अनुदान / सहायता (अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एंजेंसियाँ 4) संस्थान / कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 14 – शुल्क / अभिदान		
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 15 – निवेशों से आय				
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) म्यूचुअयल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य – एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश	शून्य			
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में अंतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय		
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच तथा अन्य द्वारा डेटा बिक्री से आय	56	509
योग :	**56**	**509**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 17 – अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	4604	522
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	140	114
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	2	2
ख) तेल कम्पनियाँ	62257	68068
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) चल अग्रिम पर ब्याज	0	0
ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	990
योग:	**67003**	**69696**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	6723	6860

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 18 – अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों के ब्रिक्री / निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पतियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां		
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	
4. विविध आय	483	227
योग :	**483**	**227**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि / कमी		
क) अन्तिम स्टॉक		
- तैयार माल	शून्य	शून्य
- कार्यगत राशि		
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- कार्यगत राशि		
निवल जमा (घटा) (क+ख)	-	-

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 20 – स्थापना खर्चे		
क) वेतन एवं मजदूरी	182	178
ख) भत्ते एवं बोनस	29	28
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	16	14
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	2	13
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	11	4
छ) अन्य (संविदा प्रकोष्ठ के साथ)	254	179
योग :	**514**	**416**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय	0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे	0	0
ग) गाडी तथा भाडा	0	0
घ) विद्युत तथा बिजली	310	227
ड0) जल प्रभार	1	1
च) बीमा	2	3
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	107	110
ज) उत्पाद कर	0	0
झ) किराया, दरें तथा कर	295	88
त्र) गाडियों का चलन एवं रखरखाव	9	5
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार	5	7
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री	10	6
ड) विविध खर्चे	7	5
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चें	1	3
ण) अभिदान खर्चें	0	0
त) शुल्क पर खर्चें	0	0
थ) लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक	5	3
द) आतिथ्य खर्चा	0	1
ध) व्यावसायिक प्रभार	40	43
न) संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान	0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चें	0	0
फ) पैकिंग प्रभार	0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे	0	0
भ) संवितरण खर्चें	0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार	2	4
अन्य (एफएमएस कार्य खर्चे तथा तेउविबो भवन का रखरखाव)	152	129
योग :	**946**	**635**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		
क) संस्थानों / संगठनों को जारी अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	12800	14879
ख) सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए (अनुलग्नक III–बी)	2368	367
योग :	**15168**	**15246**
टिप्पणी–अनुलग्नक III (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान /सब्सीडी राशि इंगित की गई है।		
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनूसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज		
क) स्थिर ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग :	**0**	**0**
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनूसूची 24 – राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान		
अरूणाचल प्रदेश सरकार	5800	7468
गुजरात सरकार	5200	6267
कुल	**11000**	**13735**

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

1. **लेखाकरण व्यावहारिक रीति**

वित्तीय विवरणपत्र सिर्फ अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. **निवेश**

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. **स्थाई परिसम्पत्तियाँ**

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं, निर्माण, संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. **मूल्यह्रास**

4.1 मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार "ह्रासित मूल्य" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को इसी वर्ष में पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया जाता है।

5. **सरकारी अनुदान/सब्सिडी** –

अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों/को देय रायल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, भुगतान के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर देय आय 90 दिन के बाद प्राप्य नहीं रहती है।

7. विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवषत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) रूपये 36.58 लाख (गत वर्ष रू0.36.28 लाख) के टीडीएस और उस पर ब्याज (2007–08 के लिए रू0.1. 42 लाख, वर्ष 2008–09 के लिए रू0. 30.10 लाख, वर्ष 2009–10 के लिए 0.05 लाख, वर्ष 2010–11 के लिए रू0.3.55 लाख और वर्ष 2011–12 के लिए रू0. 1.46 लाख) को खातों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आयकर आयुक्त (अपील) के पास मामला लंबित है। सीआईटी ए) की सलाह पर, ए ओ (टीडीएस) के समक्ष (टीडीएस) फाइल कर दिया तथा आई टी अधिनियम के अनुच्छेद 154 के तहत एक संशोधन याचिका दायर की गई है। आई टी अधिकारियों द्वारा नये आदेश जारी करने के लिए सुधार की प्रक्रिया की जा रही है)।

(ख) तेउविबो तथा मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच तेउविबो भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्य के निष्पादन के लिए एक आर्बिट्रेशन मामला था। आरबीट्रेटर द्वारा फैसला मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिया गया तथा उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का निर्णय दिया। तेउविबो ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरबीट्रेटर के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर की गई। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रावधान को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) एक अन्य आर्बिट्रेशन मामला तेउविबो तथा मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के मध्य है, जो तेउविबो भवन के निर्माण हेतु सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य निष्पादन से उत्पन्न हुआ, जिसमें ईपीआईएल द्वारा विभिन्न दावों हेतु तेउविबो पर 4471.78 लाख रूपये का दावा प्रस्तुत किया है। मामला आर्बिट्रेशन के लिए नियुक्त स्थाई तंत्र के एकमात्र आर्बिट्रेटर के पास लंबित है। इसी संदर्भ में, इसके लिए खातों में प्रावधान नहीं किया गया है।

(घ) वाणिज्य कर विभाग (उत्तरप्रदेश) द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए कार्य अनुबंध कर हेतु रू0.198.02 लाख की मांग की गई है। तेउविबो ने इस मामले को संबंधित विभाग में राहत के लिए उठाया है। इसे देखते हुए, इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों का मूल्य जो कि रू0.793 लाख (लगभग) मूल्य के है, पर पीएमसी और ठेकेदरों से स्पष्टीकरण के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल), तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी की "कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारण" के निर्माण की अनुमानित संशोधित लागत एचपीसीएल के अंशदान को छोड़कर रू0.372400 लाख (गत वर्ष रू0.252900 लाख रूपये) है। सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूप्ये 372400 लाख तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 23400 लाख आनुपातिक लागत के भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2014 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) को रूपये 289167 लाख (गत वर्ष 234367 लाख) इक्विटी में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 239700 लाख तक के शेयर आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 49467 लाख की राशि 31 मार्च 2014 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउवि0बो की कुल इक्विटी रूपये 17. 58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड हो गई है, जो कि कुल इक्विटी का 67.33% है। इस प्रकार तेउविबो कंपनी का एक प्रमुख शेयर धारक बन गया है तथा बीको लॉरी लिमिटेड तेउविबो की सहायक कंपनी बन गई है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तह मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2446 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख है। कैनफिना, तेउवि बोर्ड के नाम खरीदी गई प्रतिभूतियों के शुद्ध वसूली मूल्य को, जिस पर अभी मुकदमेबाजी चल रही है, जब कभी भी वसूला जाएगा, उसे तेउविबो को देने को तैयार है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध रही है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा। इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है।

4. कर निर्धारण

(क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए प्राधिकृत संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

(i) वर्ष 2012–13 के दौरान आय कर विभाग द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 271 के अधीन मूल्याकंन वर्ष 2005–06 (रूपये 1.76 करोड़), 2006–07 (रूपये 1.85 करोड़) तथा वर्ष 2007–08 (रूपये 1.40 करोड़) के लिए दंड का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अन्तर्गत मूल्याकंन वर्ष 2010–11 के लिये आदेश पारित कर रूपये 28.98 करोड़ रूपये की मांग की है। मूल्यांकन वर्ष 2010–11 में तेउविबो को रूपये 4.45 करोड के पुर्नभुगतान को समायोजित करने के पश्चात् आयकर विभाग ने धारा 271 के अंतर्गत दंड तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अन्तर्गत देयताओं को मिलाकर रूपये 29.54 करोड़ वसूले। तेउविबो ने अपील दायर की है।

5. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, तेउविबो द्वारा रॉयल्टी के अंतर का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है। इस खर्च को तेउवि बोर्ड का खर्च माना जाता है।

6. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

7. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने वर्ष के दौरान दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी में अपनी दो योजनाओं क्रमशः"तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

ह0 ह0

(एम. सी. सिंह) (एल.एन.गुप्ता)

वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी सचिव

दिनांक: 17.07-14

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-I
(सन्दर्भ : अनुसूची 25 नोट सं 5(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	अनूसूची	2013-14	2012-13
आय			
ब्याज आय	17	67003	69696
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	539	736
योग	16 & 18	**67542**	**70432**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	26168	28981
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	514	416
प्रशासनिक खर्चे	21	946	635
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास	8	1609	1707
योग		**29237**	**31739**
वर्ष के लिए लाभ		**38305**	**38693**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**38305**	**38693**
घटाएं – कर के लिए प्रावधान		**13020**	**11957**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**25285**	**26736**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

ह0
(एम. सी. सिंह)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0
(एल.एन.गुप्ता)
सचिव

दिनांक: 17.07-14
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-II
(सन्दर्भ : अनुसूची 11 बी)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2014 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्रम.सं	कम्पनी का नाम	01.04.2013 को आंरभिक शेष	वर्ष 2013–14 के दौरान संवितरित ऋण	तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान वापस किए	31.03.2014 को अंतिम शेष
1	गेल	176100	97500	40625	220300
2	आईओसीएल / बीआरपीएल	266275	57200	103175	32125
3	बीपीसीएल / केआरएल	59350	0	27225	69750
4	एचपीसीएल	89025	13800	33075	9800
5	सीपीसीएल	23663	0	13863	8248
6	एनआरएल	6470	4200	2422	97662
7	बी सी पी एल	57700	43500	3538	0
8	डीएनपी लि.	2025	0	2025	100000
9	एमआरपीएल	80000	30000	10000	11555
10	गेल गैस लिमिटेड	11940	2565	2950	
	कुल	**772548**	**248765**	**238898**	**782415**

अनुलग्नक : 111 (ए)
सन्दर्भ : अनुसूची 22

वर्ष 2013–14 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(राशि लाख रूपये में)

क्रम.सं		संस्थान का नाम	2013-14	2012-13
	क	नियमित अनुदानी संस्थान		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	3962	6209
2		पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4154	4696
3		उच्च प्रोद्यिगिकी संस्थान	1845	1392
4		पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	1436	1235
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	1374	1088
		योग (क)	**12771**	**14620**
	ख	अनुसंधान एवं विकास अनुदान		
6		एनजीएचपी – II	23	62
7		भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	0	97
8		राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम विभाग	0	100
10		आई.आई.टी. मुंबई	6	0
		योग (ख)	**29**	**259**
		योग (क+ख)	**12800**	**14879**

अनुलग्नक:111 (बी)
सन्दर्भ : अनुसूची 22

भारत सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2013–14 के दौरान व्यय

(राशि लाख रूपये में)

क्रम. सं	संस्थान का नाम	2013-14	2012-13
1	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2368	367
	कुल योग	**2368**	**367**

अध्याय-VII

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) के दिनांक 31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लागू नियम तथा लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार के अयथार्थ कथन नहीं हैं। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार, मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा वित्तीय विवरण का तालिकाबद्ध होना शामिल होता है। लेखा परीक्षण में, प्रयुक्त लेखा परीक्षण सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ – साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम आश्वस्त हैं कि हमारे लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. इन लेखा परीक्षणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट है कि :

   (1) हमने, वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।

   (2) हमारे मतानुसार, तेउविबो द्वारा लेखा बहियां तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड का उचित रूप में अद्यतन किए गए हैं, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से प्रकट होता है, निम्नलिखित के अतिरिक्त :

(क) तुलनपत्र

(क) निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : – 2447. 34 करोड रुपए

इसमें बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में 50.34 करोड़ रुपए का निवेश किया गया दर्शाया गया है। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है और इसका कुल संचित घाटा इसकी पूंजीगत निधि तथा आरक्षित निधि से अधिक हो गई थी, जिससे कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के वर्तमान 32.76 करोड़ रुपए के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की इक्विटी पूंजी मौजूदा 42 करोड़ रुपए से बढ़कर 74. 76 करोड़ रुपए हो गई और तत्पश्चात संकलित घाटे के 59.60 करोड रुपए को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 74.76 करोड़ रुपए से 15.16 करोड़ रुपए रह गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां घाटों के संचयन से ऋणात्मक रूप से 1.88 करोड रुपए हो गईं। लेखा मानक 13 के अनुसार

निवेश मूल्य में अस्थाई के अलावा मूल्य ह्रास 50.34 करोड़ रुपए है, जिसका प्रावधान किया जाना चाहिए। जबकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 40.13 करोड़ रुपए के घाटे का प्रावध ाान किया गया है ।

विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है ।

(ख) चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) : 9031.17 करोड़ रुपए

आयकर विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के कारण निर्धारण वर्ष 2010–11 के विरोध में 28.98 करोड रुपए के दावे इसमें शामिल नहीं हैं। जिसके विरूद्ध आयकर न्यायाधिकरण में अपील लंबित है।

(ग) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) : 629.14 करोड़ रुपए

इसमें वर्ष 2010–11 से असम सरकार को देय रायल्टी का 4.25 करोड रुपए का अंतर शामिल है, जबकि हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार दिसम्बर 2010 में असम राज्य के अमगुरी क्षेत्र में तेल/संघनन का कोई उत्पादन नहीं हुआ और उससे पूर्व के सभी भुगतान किए जा चुके हैं।

(ख) आय एवं व्यय लेखे

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची 21) : 9.46 करोड रुपए

(1) इसमें नोएडा में अप्रैल, 2006 के दौरान अधिग्रहित प्लॉट की 90 साल की लीज़ के लिए, वार्षिक लीज़ भुगतान के रूप में फरवरी 2014 में तेउविबो द्वारा एक मुश्त भुगतान के रूप में जमा कराए गए 2.49 करोड़ रुपए शामिल हैं। एक मुश्त भुगतान को स्थिर परिसंपति होने की पात्र है अतः इसके लाभ को शेष आगामी 82 साल की लीज अवधि के लिए समान रूप से आवंटित किया जाना चाहिए।

(2) इसमें, अगस्त 2008 के दौरान डीडीए से द्वारका में अधिगृहित भूखंड के वार्षिक भूमि किराया व पूर्व वर्षो में विलंब से दिए गए भुगतान पर ब्याज के रूप में किए गए 0.34 करोड़ का भुगतान शामिल नहीं किया गया है, जो कि अनुचित रूप से पूंजीगत किया गया जबकि ये राजस्व प्रकृति का व्यय है।

(ग) आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 26)

क) इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तेउविबो भवन के निर्माण के लिए अनुबंध की अवधि से अधिक कार्य के लिए सिविल तथा संरचनात्मक कार्य के निष्पादन हेतु परामर्श सेवाओं के लिए दर्ज कराए गए 4.22 करोड़ रुपए के दावों को लेखों पर टिप्पणियों में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) तेउविबो अपने मौजूदा कार्मिकों की पूर्व–सेवाओं को प्रदान करने के बदले अपनी देयताएं दो ट्रस्टों नामतः ''तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी योजना'' और ''तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्त योजनाओं'' के माध्यम से प्रदान करती है, जिसमें ट्रस्ट के माध्यम से निधियां बीमाकिंत मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। वर्ष 2010–11 से इन योजनाओं के लेखे न तो बनाए गए, न ही उनकी लेखा परीक्षा की गई और न ही बोर्ड/ आय कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं यह तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्त योजना की धारा 1 के खंड 12 और तेउविबो कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना की धारा 1 के खंड–15 का उल्लंघन है। इस तथ्य का लेखों की टिप्पणियों में उल्लेख नहीं किया गया है ।

(3) इस रिपोर्ट में अनुबंधित अनुलग्नक में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया है।

(4) पिछले अनुच्छेद में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखे उचित तरीके से तैयार किए हैं और ये लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(5) हमारे मतानुसार और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरणों को उनपर दी गईं लेखा नीतियों व नोट के साथ पठित किए जाने पर तथा उपरोक्त अनुच्छेद 3 (2) तथा (3) में उल्लिखित अवलोकनों के आधार पर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप एक सत्य व निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं ।

(क) जबकि इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तेल उद्योग विकास बोर्ड के मामलों पर आधारित तुलन पत्र से है।

(ख) जबकि इसका संबंध उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों से है, जिसमें व्यय से अधिक आय को कापर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

ह0/–

(परमा सेन),

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–2 मुम्बई

स्थानः मुम्बई

दिनांकः 13 फरवरी, 2015

अनुलग्नक
(लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 (3) के संदर्भ में)

1 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर्ड एकांउटेंटस फर्मो द्वारा कराई गई। तथापि, आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियत्रंण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कोई औपचारिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान संशोधन के लिए रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

क) तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जिससे हाथ में लिए गए कार्य की वास्तविक प्रगति तथा तेउविबो द्वारा जारी अनुदान से अनुदानी संगठनों द्वारा बनाई गई विद्यमान परिसंपत्तियों की रिपोर्ट को बेहतर बनाया जा सके।

ख) अनुदान जारी करने के पश्चात, तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। तथापि, कार्य की वास्तविक प्रगति को तेउवि बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है और न ही बोर्ड के पास ऐसी कोई प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।

3. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए लिए अनुदान सहायता

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी है, के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। तथापि :

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत निकायों को पिछले 3 वर्षों (2011–12 से 2013–14 तक) के दौरान तेउविबो द्वारा जारी कुल अनुदान 388.26 करोड़ रुपए (2013–14 के लिए रूपये 127. 71 करोड़ रुपए) था जो कि इस अवधि के दौरान तेउविबो द्वारा वितरित कुल अनुदान का 99 प्रतिशत (लगभग) था। अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता है कि अनुदान की इस राशि में से कितना अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया।

इन संगठनों अर्थात हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, (सीएचटी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) तथा पेट्रोलियम आयोजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को आवर्ती आधार पर आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराने की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था उन्हें उनके नियमित व्यय की पूर्ति करने में सहायक होती है जिसके परिणामस्वरूप संसदीय बजटीय नियंत्रण में अपारदर्शिता तथा विमुखता आती है। इसके अतिरिक्त तेउविबो निधियों से दो निदेशालय अर्थात डीजीएच तथा पीपीएसी को अनुदान प्रदान करना एक असामान्य प्रक्रिया है जिसे तत्काल मंत्रालय द्वारा सुलझाया जाना चाहिए।

4. तेउविबो अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क में से भारत सरकार द्वारा तेउविबो को निधियों का आबंटन न किया जाना ।

तेउविबो की स्थापना तेल उद्योगों के विकास हेतु की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा तेउवि अधिनियम 1974 की धारा 15 के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल पर उपकर लगाया और उससे संबंधित मामले में उगाही कर उन्हें एकत्रित किया

जा रहा है। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि को विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबन्धित करे तो संग्रहण के खर्चो की कटौती के पश्चात् बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से, तेउवि अधिनियम 1974 के प्रयोजनों के लिए अनन्यतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जिन्हें वह उचित मानती है। यद्यपि केन्द्र सरकार समय–समय पर उत्पाद कर पर दरें बढाती रही है तथा अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद कर के रूप में 31 मार्च 2014 तक 1,33,049.33 करोड़ की पर्याप्त राशि के रूप में एकत्रित कर चुकी है। सरकार द्वारा तेउविबो को 1991–92 तक केवल 902.40 करोड़ (जोकि कुल एकत्रित राशि का मात्र 0.68 प्रतिशत है) दिए हैं तथा उसके बाद से तेउविबो को कोई निधियां नहीं दी गई हैं। यह तेउविबो की स्थापना के उद्देश्य के तथा तेउवि अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पाद कर पर की गई उगाही के अनुरूप नहीं है ।

5. वैधानिक दर्जा दिए बिना कापर्स फंड का गठनः

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2004) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने हेतु एक अलग फंड ''हाइड्रोजन कापर्स फंड'' की वर्ष 2004 में स्थापना की गई थी। तथापि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा था कि इस निधि के रखरखाव के लिए किसी प्रकार के पृथक ट्रस्ट या संगठन या सोसाइटी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तेउविबो से इस निधि के रखरखाव के लिए एक कोर्पस फंड को बनाने के लिए कहा गया था। यह निर्णय लिया गया कि फंड तेउविबो के मानदण्डों के अनुसार वित्तीय लेखा परीक्षा पर आधारित होगा।

दिनांक 31 मार्च 2014 तक कापर्स फंड में 139.96 करोड़ रूपये की राशि संचित की गई जो कि तेउविबो के खाते से अलग विभिन्न बैंकों में रखी गई । इस निधि के लिए किसी प्रकार की औपचारिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही प्रणाली का निर्णय नहीं किया गया। एक बडी राशि का मामला होने के कारण इस निधि के वित्त के लिए एक औपचारिक ओवरसाइट मैकेनिज्म फंड अनिवार्य है ।

6. अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन

बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर) के संदर्भ मं सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन न करना सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192(1) की अवहेलना है।

7 सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया गया है कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया जाता है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता

तेउविबो ऋण तथा अनुदान के कार्य करता है। इसकी निगरानी के लिए जो साफ्टवेयर स्थापित किए गए हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने लिए लिए अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करना होगा ।

वर्ष 2013–2014 के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड के लेखों पर सीएजी लेखा परीक्षा पैरा तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर

लेखा परीक्षक की टिप्पणी		तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
क तुलनपत्र **(क) निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : – 2447.34 करोड रुपए** बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में 50.34 करोड़ रुपए का निवेश किया गया दर्शाया गया है। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है और इसका कुल संचित घाटा इसकी पूंजीगत निधि तथा आरक्षित निधि से अधिक हो गई थी, जिससें कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के वर्तमान 32.76 करोड़ रुपए के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की इक्विटी पूंजी मौजूदा 42 करोड़ रुपए से बढ़कर 74.76 करोड़ रुपए हो गई और तत्पश्चात संकलित घाटे के 59.60 करोड रुपए को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 74.76 करोड़ रुपए से 15.16 करोड़ रुपए रह गई । दिनांक 31 मार्च 2013 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां घाटों के संचयन से ऋणात्मक रूप से 1.88 करोड रुपए हो गईं। लेखा मानक 13 के अनुसार निवेश मूल्य में अस्थाई के अलावा मूल्य ह्रास 50.34 करोड़ रुपए है, जिसका प्रावधान किया जाना चाहिए। जबकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 40.13 करोड़ रुपए के घाटे का प्रावधान किया गया है। विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।		तेउविबो द्वारा मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में अपने इक्विटी निवेश कम करने से पूर्व मैसर्स बीएलएल को माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया। बीएलएल द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी है। तेउविबो निरंतर इस मामले में मैसर्स बीएलएल के साथ सम्पर्क में है। इसके अलावा, तेउविबो के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देते समय, सरकार बीएलएल के पुनरूद्धार पैकेज पर विचार कर रही थी। अत:, मैसर्स बीएएल में तेउविबो के इक्विटी निवेश का मूल्यह्रास बीएलएल द्वारा सांविधिक अनिवार्यताओं के संपन्न होने के पश्चात प्रतिबिंबित होगा।

(ख) चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) : 9031.17 करोड़ रुपए आयकर विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के कारण निर्धारण वर्ष 2010–11 के विरोध में 28.98 करोड रुपए के दावे इसमें शामिल नहीं हैं। जिसके विरूद्ध आयकर न्यायाधिकरण में अपील लंबित है। **(ग) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) : 629. 14 करोड़ रुपए** इसमें वर्ष 2010–11 से असम सरकार को देय रायल्टी का 4.25 करोड रुपए का अंतर शामिल है, जबकि हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार दिसम्बर 2010 में असम राज्य के अमगुरी क्षेत्र में तेल/संघनन का कोई उत्पादन नहीं हुआ और उससे पूर्व के सभी भुगतान किए जा चुके हैं ।		रूपये 28.98 करोड़ की राशि को ''दावों की वसूली'' में दर्शाया नहीं किया गया जबकि यह नोटिस चालू वित्त वर्ष 2014–15 में प्राप्त हुआ था । लेखा परीक्षा की सलाह के अनुसार, विरोध के तहत किए गए कर भुगतान को चालू वित्त वर्ष से आकस्मिक देयताओं में दर्शाया जाएगा। चूंकि, डीजीएच द्वारा तेउविबो के लिए 31 मार्च 2014 तक असम राज्य सरकार को देय रायल्टी के अंतर के प्रावधान के 4.75 करोड़ रुपए लौटाने के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए यह प्रावधान वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों में बना रहा। डीजीएच की सूचना के अनुसार दिसम्बर 2010 के पश्चात से तेल/संघनन का कोई उत्पादन नहीं हुआ और इसकी सूचना पत्र संख्या–डीजीएच/सीएफ/डिफ रॉयल्टी/2013–14 दिनांक 12.05.2014 के माध्यम से अर्थात वित्त वर्ष 2013–14 की समाप्ति के प्राप्त हुई है।
ख आय एवं व्यय लेखे **अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची 21) : 9. 46 करोड रुपए** 1. इसमें नोएडा में अप्रैल, 2006 के दौरान अधिग्रहित प्लॉट की 90 साल की लीज़ के लिए, वार्षिक लीज़ भुगतान के रूप में फरवरी 2014 में तेउविबो द्वारा एक मुष्त भुगतान के रूप में जमा कराए गए 2.49 करोड़ रुपए शामिल हैं। एक मुश्त भुगतान को स्थिर परिसंपति होने की पात्र है अतः इसके लाभ को शेष आगामी 82 साल की लीज अवधि के लिए समान रूप से आवंटित किया जाना चाहिए ।		वर्ष 2013–14 स्वीकृत किए गए वार्षिक लेखों को तेउवि बोर्ड की दिनांक 30.09.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में अपनाया गया था। स्वीकृति के पश्चात उपायुक्त, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश तेउविबो को 31.10.2014 प्राप्त हुआ (प्रति संलग्न अनुलग्नक–।)। अतः इस राशि को आकस्मिक देनदारियों में दर्शाया गया है और चालू वित्त वर्ष अर्थात 2014–15 के वार्षिक लेखों में दर्शाया जाएगा।

2. इसमें, अगस्त 2008 के दौरान डीडीए से द्वारका में अधिगृहित भूखंड के वार्षिक भूमि किराया व पूर्व वर्षो में विलंब से दिए गए भुगतान पर ब्याज के रूप में किए गए 0.34 करोड़ का भुगतान शामिल नहीं किया गया है, जो कि अनुचित रूप से पूंजीगत किया गया जबकि ये राजस्व प्रकृति का व्यय है।		
ग आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 26) क) इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तेउविबो भवन के निर्माण के लिए अनुबंध की अवधि से अधिक कार्य के लिए सिविल तथा संरचनात्मक कार्य के निष्पादन हेतु परामर्श सेवाओं के लिए दर्ज कराए गए 4.22 करोड़ रुपए के दावों को लेखों पर टिप्पणियों में शामिल नहीं किया गया है। (ख) तेउविबो अपने मौजूदा कार्मिकों की पूर्व–सेवाओं को प्रदान करने के बदले अपनी देयताएं दो ट्रस्टों नामतः ''तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी योजना'' और ''तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्त योजनाओं'' के माध्यम से प्रदान करती है, जिसमें ट्रस्ट के माध्यम से निधियां बीमाकिंत मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। वर्ष 2010–11 से इन योजनाओं के लेखे न तो बनाए गए, न ही उनकी लेखा परीक्षा की गई और न ही बोर्ड/ आय कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं यह तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्त योजना की धारा 1 के खंड 12 और तेउविबो कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना की धारा 1 के खंड–15 का उल्लंघन है। इस तथ्य का लेखों की टिप्पणियों में उल्लेख नहीं किया गया है । (ग) इस रिपोर्ट में अनुबंधित अनुलग्नक में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया है। (घ) पिछले अनुच्छेद में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखे उचित तरीके से तैयार किए हैं और ये लेखा बहियों के अनुसार हैं।		तेउविबो पूर्व वर्षों के दौरान वास्तविक आधार पर निरंतर ''बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज'' के लिए चली आ रही पुरानी पद्धति का अनुसरण कर रहा है। इस वर्ष भी इसी प्रक्रिया को जारी रखा गया है। लेखा परीक्षकों के अनुसार, वार्षिक लेखे 2014–15 से 'उपार्जन आधार' पर बचत बैंक पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने की पद्धति को अपनाया जाएगा। तथापि, बैंकों द्वारा इस प्रकार के उपार्जनों के प्रमाणन का प्रावधान संभवतः नहीं किया जाता है।

(ड़) हमारे मतानुसार और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरणों को उनपर दी गईं लेखा नीतियों व नोट के साथ पठित किए जाने पर तथा उपरोक्त अनुच्छेद 3 (2) तथा (3) में उल्लिखित अवलोकनों के आधार पर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप एक सत्य व निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं ।

(क) जबकि इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तेल उद्योग विकास बोर्ड के मामलों पर आधारित तुलन पत्र से है।

(ख) जबकि इसका संबंध उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों से है, जिसमें व्यय से अधिक आय को कापर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अनुलग्नक
(लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 (3) के संदर्भ में)

लेखा परीक्षक की टिप्पणी		तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
1 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर्ड एकांउटेंटस फर्मो द्वारा कराई गई। तथापि, आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियत्रंण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कोई औपचारिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान संशोधन के लिए रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया।		आंतरिक लेखा परीक्षक का स्कोप व्यापक बनाया गया और मेसर्स राज के श्री एंड कंपनी को यथोचित कार्यवाही करते हुए तेउविबो के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, लेखा परीक्षक के कार्य का स्कोप संशोधित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता व प्रभाविता को औपचारिक रूप से आश्वस्त किया गया।
2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क) तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जिससे हाथ में लिए गए कार्य की वास्तविक प्रगति तथा तेउविबो द्वारा जारी अनुदान से अनुदानी संगठनों द्वारा बनाई गई विद्यमान परिसंपत्तियों की रिपोर्ट को बेहतर बनाया जा सके। ख) अनुदान जारी करने के पश्चात, तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। तथापि, कार्य की वास्तविक प्रगति को तेउवि बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है और न ही बोर्ड के पास ऐसी कोई प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।		अनुदान अनुग्रही सस्थानों जैसे कि सीएचटी, पीसीआरए, आदि द्वारा उनके अपने बजट में से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किया गया। वे अपनी परियोजनाओं की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए नोडल कार्यालय की स्थिति में है। तथापि, तेउविबो ने इन सभी संस्थाओं को तेउविबो निधियों से सृजित परिसंपत्तियों के विवरण तैयार करने और तेउविबो को सूचित करते हुए उनकी वास्तविक जांच सुनिश्चित करने का का अनुरोध किया था।
3. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए लिए अनुदान सहायता (1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार अन्य बातों के साथ साथ		यह सत्य नहीं है कि अनुसंधान और विकास कार्य के लिए जारी अनुदान केवल 1 प्रतिशत है।

बोर्ड द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी है, के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। तथापि :

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत निकायों को पिछले 3 वर्षों (2011–12 से 2013–14 तक) के दौरान तेउविबो द्वारा जारी कुल अनुदान 388.26 करोड़ रुपए (2013–14 के लिए रूपये 127. 71 करोड़ रुपए) था जो कि इस अवधि के दौरान तेउविबो द्वारा वितरित कुल अनुदान का 99 प्रतिशत (लगभग) था। अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता है कि अनुदान की इस राशि में से कितना अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया।

इन संगठनों अर्थात हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, (सीएचटी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) तथा पेट्रोलियम आयोजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को आवर्ती आधार पर आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराने की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था उन्हें उनके नियमित व्यय की पूर्ति करने में सहायक होती है जिसके परिणामस्वरूप संसदीय बजटीय नियंत्रण में अपारदर्शिता तथा विमुखता आती है। इसके अतिरिक्त तेउविबो निधियों से दो निदेशालय अर्थात डीजीएच तथा पीपीएसी को अनुदान प्रदान करना एक असामान्य प्रक्रिया है जिसे तत्काल मंत्रालय द्वारा सुलझाया जाना चाहिए।

अनुदानग्राही संस्थान को प्रदान किए गए अनुदान में उनकी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए भी प्रावधान शामिल होता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित विवरण में सीएचटी में बजट के साथ साथ अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

कुल बजट	अनुसंधान और विकास के लिए आवंटन	अनुसंधान और विकास पर कुल बजट का प्रतिशत
22.20 (वित्तीय वर्ष 13–14)	12.43	56
15.62 (वित्तीय वर्ष 2014–15)	5.85	37

इसके अलावा, तेउविबो द्वारा मौजूदा वर्ष के दौरान कुछ अन्य एकल परियोजनाओं के अलावा जिनका वित्त पोषण तेउविबो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया है ।

तेउविबो ने पे. एवं प्रा. गै. मंत्रालय से मंत्रालय के बजट से डीजीएच को वित्त पोषित करने का अनुरोध भी किया था। तथापि मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2014 के पत्र संख्या ओ 23012/15/2014–ओएनजी –। (एफटीएस 33436) द्वारा तेउविबो को डीजीएच का वित्त पोषण जारी रखने के निदेश दिए।

तेउविबोर्ड ने 24.02.2014 की अपनी 87वीं बैठक में सी एंड ए जी को अनुरोध करने निर्णय लिया कि वे सीएजी अधिनियम की धारा 20 के तहत इसकी अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखों का लेखा परीक्षण करें।

4. **तेउविबो अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क में से भारत सरकार द्वारा तेउविबो को निधियों का आबंटन न किया जाना ।** तेउविबो की स्थापना तेल उद्योगों के विकास हेतु की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा तेउवि अधिनियम 1974 की धारा 15 के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल पर उपकर लगाया और उससे संबंधित मामले में उगाही कर उन्हें एकत्रित किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि को विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबन्धित करे तो संग्रहण के खर्चो की कटौती के पश्चात् बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से, तेउवि अधिनियम 1974 के प्रयोजनों के लिए अनन्यतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जिन्हें वह उचित मानती है। यद्यपि केन्द्र सरकार समय–समय पर उत्पाद कर पर दरें बढाती रही है तथा अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद कर के रूप में 31 मार्च 2014 तक 1,33,049.33 करोड़ की पर्याप्त राशि के रूप में एकत्रित कर चुकी है। सरकार द्वारा तेउविबो को 1991–92 तक केवल 902.40 करोड़ (जोकि कुल एकत्रित राशि का मात्र 0.68 प्रतिशत है) दिए हैं तथा उसके बाद से तेउविबो को कोई निधियां नहीं दी गई हैं। यह तेउविबो की स्थापना के उद्देश्य के तथा तेउवि अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पाद कर पर की गई उगाही के अनुरूप नहीं है ।		तेउविबो द्वारा निरंतर वित्त मंत्रालय के साथ उपकर के आवंटन के इस मामले का अनुकरण किया जा रहा है जिसमें तेउवि अधिनियम 1974 के तहत उपकर की आय से तेउविबो को निधियों का आवंटन करने का अनुरोध किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय को दिनांक 14.03.2014, 02.10.2014 तथा 18.11.2014 को लिखे गए पत्रों की प्रतियां अनुलग्नक 'क' के रूप में संदर्भ के लिए अनुबंधित हैं।
5. **वैधानिक दर्जा दिए बिना कापर्स फंड का गठनः** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2004) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने हेतु एक अलग फंड ''हाइड्रोजन कापर्स फंड'' की वर्ष 2004 में स्थापना की गई थी। तथापि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा था कि इस निधि के रखरखाव के लिए किसी प्रकार के पृथक ट्रस्ट या संगठन या सोसाइटी को		तेउविबो ने इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष रखा है और सचिव, पीएनजी की अध्यक्षता में सभी हिस्सेदारों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि मूल संचित निधि को योगदानकर्ता एजेंसियों को वापिस कर दिया जाए और शेष राशि को सीएचटी को सौंप दी

बनाने की आवश्यकता नहीं है। तेउविबो से इस निधि के रखरखाव के लिए एक कोर्पस फंड को बनाने के लिए कहा गया था। यह निर्णय लिया गया कि फंड तेउविबो के मानदण्डों के अनुसार वित्तीय लेखा परीक्षा पर आधारित होगा। दिनांक 31 मार्च 2014 तक कापर्स फंड में 139.96 करोड़ रूपये की राशि संचित की गई जो कि तेउविबो के खाते से अलग विभिन्न बैंकों में रखी गई । इस निधि के लिए किसी प्रकार की औपचारिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही प्रणाली का निर्णय नहीं किया गया। एक बडी राशि का मामला होने के कारण इस निधि के वित्त के लिए एक औपचारिक ओवरसाइट मैकेनिज्म फंड अनिवार्य है ।		जाए ताकि वे एचसीएफ के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। तद्नुसार दिनांक 16.10.2014 को उक्त विषय पर एक स्व निर्धारित प्रस्ताव मंत्रालय को पत्र संख्या 4/17/2013 –ओआईडीबी (पार्ट) तथा दिनांक 27.11.2014 को समसंख्यक पत्र भेज दिया गया।
6. अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर) के संदर्भ मं सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन न करना सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192(1) की अवहेलना है।		सभी अचल संपत्तियों की पहचान और कोडिंग पूरी हो गई है। अचल संपत्तियों का सत्यापन गठित समिति द्वारा किया गया।
7 सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया गया है कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया जाता है।		सभी सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया गया ।
8. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता तेउविबो ऋण तथा अनुदान के कार्य करता है। इसकी निगरानी के लिए जो साफ्टवेयर स्थापित किए गए हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने लिए लिए अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करना होगा ।		संबंधित इकाई ने सूचित किया कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी है और यह ठीक कार्य नहीं कर रहा है। आसूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी अधिकारी से इस माामले को पीसीआरए के समक्ष रखने का और इस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करने का अनुरोध किया गया।